आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगड़न आईलन्ड, कोचिन- 682 009

वार्षिक लेखा

एवं

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2020-21

वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में दिए गए लेखा -परीक्षा आपत्तियों /विचारों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी सहित

आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगड़न आईलन्ड, कोचिन- 682 009

वार्षिक लेखा

2020-21

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विषय सूची

अनुसूची	उप अनुसूची		पृष्ठ संख्या
		तूलन पत्र	1
		लाभ और हानि लेखा	2
		तुलन पत्र हेतु अनुसूचियाँ:	
I		संचय एवं अधिशेष	3
		सांविधिक संचय	3
		अनुदान सहायता	3
II		ऋण निधियाँ	3
III		अवमूल्यन के लिये पूंजिगत परिसम्पत्तियाँ और प्रावधान	5
IV		निवेश	4
V		विविध देनदार	4
VI		नकद एवं बैंक में जमा राशि	4
VII		ऋण एवं अग्रिम	4
VIII		मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों	4
		तुलन पत्र के लिये अनुसूचियों हेतु उप अनुसूचियाँ:	
	क	निधियाँ एवं सांविधिक संचय	6
	ख	बैंक मे जमा राशि एवं नकदी	7
		लाभ और हानि लेखा के लिये उप अनुसूचियाँ	
		आय	
	ग	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	8
	घ	पोर्ट और गोदी शुल्क	8
	ङ	रेलवे आमदनी	8
	ज	संपदा किराया	8
		व्यय	
	झ	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	9
	ञ	नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ	9
	ट	रेलवे कार्य	9
	ठ	भाड़ा योग्य भूमि और भवनों	10
	ड	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन	10
	ढ	वित्त और विविध आय	11
	ण	वित्त और विविध व्यय	11
		लाभ और हानि लेखा के लिये अतिरिक्त अनुसूची	12-14
IX		**कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के तुलन पत्र**	15
		सी.एफ.एच के आय और व्यय लेखा	16
		सी.एफ.एच. की प्राप्ति और भुगतान खाता	17
X		**वार्षिक लेखा के लिये टिप्पणियाँ**	18-34
XI		**पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट**	35 - 40
XII		**लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई**	41 - 46

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31 मार्च 2021 तक तूलन पत्र

	विवरण	अनुसूची	2020-21		2019-20	
			₹	₹	₹	₹
I	**निधि के स्त्रोत**					
	संचय और अधिशेष	I				
	क पूंजिगत संचय		84,84,07,574		84,84,07,574	
	ख निधियाँ		67,25,221	85,51,32,795	66,30,095	85,50,37,669
	ग सांविधिक संचय			16,72,81,794		16,72,81,794
	घ सहायता अनुदान			20,01,86,094		16,86,69,429
	ऋण निधियाँ	II				
	क सरकारी ऋण		4,46,82,33,147		4,46,82,33,147	
	ख असुरक्षित ऋण		2,56,53,064	4,49,38,86,211	2,52,64,168	4,49,34,97,315
	कुल			**5,71,64,86,894**		**5,68,44,86,207**
	कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
	कुल योग			**5,71,76,73,260**		**5,68,56,72,573**
II	**निधियों का प्रयोग**					
	स्थिर / पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	III				
	सकल ब्लॉक		7,02,35,90,690		6,76,59,97,577	
	न्यून:अवमूल्यन हेतु प्रावधान		3,24,30,48,307		3,05,98,94,951	
	निवल ब्लॉक			3,78,05,42,383		3,70,61,02,626
	पूंजिगत कार्य प्रगति पर			3,70,61,742		28,23,42,207
	निवेश	IV		1,15,00,000		1,15,00,000
	मौजूदा परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
	क चालू परिसम्पत्तियाँ:					
	i अर्जित ब्याज		5,34,17,670		4,59,13,266	
	ii संपत्ति सूची		71,54,469		64,76,599	
	iii विविध देनदार	V	51,85,02,701		62,14,31,954	
	iv नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	3,68,90,98,379		2,27,56,18,217	
	ख ऋण एवं अग्रिम	VII	76,15,15,694		75,28,53,152	
	कुल		5,02,96,88,913		3,70,22,93,189	
	न्यून:चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	VIII	7,99,46,57,572		6,94,21,08,702	
	निवल चालू परिसम्पत्तियाँ			-2,96,49,68,659		-3,23,98,15,513
	ग लाभ और हानि लेखा			4,85,23,51,429		4,92,43,56,887
	कुल			**5,71,64,86,894**		**5,68,44,86,207**
	कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
	कुल योग			**5,71,76,73,260**		**5,68,56,72,573**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
अध्यक्ष

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

	उप अनुसूची	2020-21	2019-20
आय			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	ग	2,56,98,66,070	2,45,51,80,349
पोर्ट एवं गोदी प्रभार (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	घ	3,20,06,11,809	2,93,89,33,340
रेलवे आमदनी	ङ	0	0
सम्पदा भाड़ा	च	1,06,27,11,760	1,09,62,00,509
कुल		**6,83,31,89,639**	**6,49,03,14,198**
कम व्यय:			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार	छ	52,87,70,468	54,38,03,851
नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	ज	1,55,26,20,786	1,52,33,15,536
रेलवे कार्य	झ	0	0
भाड़ा योग्य भूमि एवं भवनों	ञ	23,17,76,956	27,08,53,747
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन (विशेष गतिविधि के लिये सीधे उत्तरदायी नहीं)	ट	1,12,11,55,979	1,22,07,72,982
कुल		**3,43,43,24,189**	**3,55,87,46,115**
परिचालन लाभ (+) / हानि (-)		3,39,88,65,449	2,93,15,68,083
योग: वित्त और विविध आय	ठ	43,66,33,392	43,19,86,772
कुल		**3,83,54,98,842**	**3,36,35,54,855**
न्यून: वित्त और विविध व्यय	ड	3,76,34,93,384	3,15,05,25,494
कर पूर्व लाभ		7,20,05,457	21,30,29,360
न्यून: कराधान हतु प्रावधान			
कर पश्चात लाभ		7,20,05,457	21,30,29,360
न्यून : विनियोजन			
पूंजिगत संचय		0	0
कुल			
राजस्व संचय के लिये शेष स्थानान्तरित		7,20,05,457	21,30,29,360
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह			
आय		3,06,07,724	4,45,33,735
व्यय		3,85,09,077	4,50,74,613
अधिशेष(+) / घाटा (-)		**-79,01,354**	**-5,40,878**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
अध्यक्ष

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2021 तक तूलन पत्र के लिए अनुसूची

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2020-21 ₹	2019-20 ₹
संचय और अधिशेष	I	क		
पूंजीगत संचय			84,84,07,574	84,84,07,574
सीपीई(एचबीए) परिवार लाभ निधि			38,48,145	35,77,158
कर्मचारी कल्याण निधि			27,43,191	29,81,211
परिवार सुरक्षा निधि			1,33,884	71,726
कुल			**85,51,32,795**	**85,50,37,669**
सांविधिक संचय	I	क		
पूंजीगत संपदाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु निधि			9,83,85,897	9,83,85,897
विकास, आकस्मिक व्यय और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि			6,88,95,897	6,88,95,897
कुल			**16,72,81,794**	**16,72,81,794**
सहायता अनुदान	I			
पैदल रास्ता और पार्किंग सुविधाओं के विकास हेतु सहायता अनुदान			-1,06,29,246	-19,21,399
अतिरिक्त पर्यटन सुविधा -पैदल रास्ता सृजन हेतु सहायता अनुदान			-83,53,072	-72,89,222
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सहायता अनुदान			3,29,80,847	3,39,26,942
रेल ओवर ब्रिज के लिए सहायता अनुदान			8,50,27,216	8,30,89,349
आर एवं डी योजना के अंतर्गत "अवसादन एवं इष्टतम सुधारक उपायों पर अध्ययन" पर सहायता अनुदान			-10,10,380	-10,10,380
प्रदूषण प्रतिक्रियाओं (पीआर) उपकरण / सामग्री की खरीद के लिए सहायता अनुदान			67,65,462	65,81,258
आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन			-28,32,794	-1,19,66,651
एरणाकुलम वार्फ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण के लिए सहायता अनुदान			-73,48,675	61,25,425
क्रूज़ टर्मिनल के लिए बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान(सामुद्रिका)			-3,62,738	-11,38,043
क्रूज़ टर्मिनल के लिए अतिरिक्त बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान			3,08,05,673	3,89,46,455
साउथ कोयला बर्थ के पुनरुद्धारण हेतु सहायता अनुदान			4,46,06,897	0
कुल			16,96,49,189	14,53,43,734
न्यून: सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम- चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनावृत मंत्रालय से प्राप्त			-3,05,36,905	-2,33,25,694
कुल अनुदान			**20,01,86,094**	**16,86,69,429**
ऋण निधियाँ				
क. सरकार से ऋण	II		4,46,82,33,147	4,46,82,33,147
कुल			**4,46,82,33,147**	**4,46,82,33,147**
ख असुरक्षित ऋण	II			
(क) अन्य स्त्रोत ऋण				
ऋण की मूल राशि			29,91,508	29,91,508
योग:अर्जित ब्याज			2,26,61,556	2,22,72,660
कुल			**2,56,53,064**	**2,52,64,168**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2021 तक तूलन पत्र के लिये अनुसूचियाँ

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2020-21 ₹	2019-20 ₹
निवेश	IV			
क दीर्घावधि निवेश				
मेसर्स कोचीन ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर कं. लि. के शेयरों में				
(प्रति 10 रु की 1,50,000 ईक्वुटी शेयर)			15,00,000	15,00,000
ख वर्तमान निवेश				
म्यूचल निधि में निवेश - एसबीआई मागनम लो डूरेशन फण्ड ड्यरेक्ट ग्रोत				
(3865.844 इकाई रु 2586.757 प्रति इकाई का @ एनएवी)			1,00,00,000	1,00,00,000
कुल			**1,15,00,000**	**1,15,00,000**
विविध देनदार	V			
सरकारी देय - 6 माह से कम			11,02,34,847	11,01,96,343
- 6 माह से अधिक			10,34,51,980	5,42,11,823
गैर सरकारी देय - 6 माह से कम			10,20,48,805	24,56,04,647
- 6 माह से अधिक			30,27,03,994	30,64,69,651
			61,84,39,625	71,64,82,464
न्यून:संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			9,99,36,925	9,50,50,510
कुल			**51,85,02,701**	**62,14,31,954**
नकद एवं बैंक में जमा राशि				
नकदी	VI	ख	55,368	82,425
बैंक में शेष :				
वर्तमान लेखा			21,37,86,163	17,60,39,291
मियादी जमा			3,47,48,04,316	2,09,75,50,303
कैष कार्ड			4,52,532	19,46,198
कुल			**3,68,90,98,379**	**2,27,56,18,217**
ऋण एवं अग्रिम (नकद या प्रकार में वसूलीयोग्य अथवा प्राप्त किये जाने के लिये मूल्य)	VII			
अग्रिम में भुगतान एवं शेष ऋण			70,13,94,123	70,25,59,441
जमा			2,95,84,666	2,69,68,016
योग:मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम			3,05,36,905	2,33,25,694
कुल			**76,15,15,694**	**75,28,53,152**
वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधानों	VIII			
वर्तमान देनदारियाँ				
सामान्य भविष्य निधि			70,90,39,237	68,28,52,692
देय वेतन व मजदूरी			10,93,55,060	17,14,56,936
देय ईएसआई अंशदान			1,01,803	1,02,600
देय ईपीएफ अंशदान			6,43,754	5,85,738
अर्जित व्यय			97,55,80,504	97,33,69,243
विविध लेनदार और जमा शेष			2,85,74,86,059	2,87,35,20,124
व्यापारी, ठेकेदार और दूसरों से जमा			3,34,24,51,155	2,24,02,21,369
कुल			**7,99,46,57,572**	**6,94,21,08,702**

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची III

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2021 तक पूंजीगत परिसम्पत्ति रजिस्टर

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	परिसम्पत्तियाँ	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन हेतु प्रावधान				निवल ब्लॉक	
		01-04-2020 तक	योग	विलोपन	31-03-2021 तक	01-04-2020 तक	विलोपन पर	वर्ष के दौरान	31-03-2021 तक कुल	31-03-2021 तक	01-04-2020 तक
1	भूमि	51,49,16,218	0	0	51,49,16,218	0	0	0	0	51,49,16,218	51,49,16,218
2	पूंजी निकर्षण	84,39,61,873	0	0	84,39,61,873	19,07,58,553	0	84,53,940	19,92,12,493	64,47,49,380	65,32,03,320
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएँ	74,32,96,476	4,92,356	3,28,998	74,34,59,834	37,94,58,288	40,024	2,26,29,162	40,20,47,426	34,14,12,408	36,38,38,188
4	वार्फ़ों, सड़कों और चौहदियों	1,86,47,74,460	25,73,77,135	0	2,12,21,51,596	59,93,64,597	0	5,68,86,670	65,62,51,267	1,46,59,00,329	1,26,54,09,864
5	प्लव यान	1,31,63,88,646	0	95,31,000	1,30,68,57,646	91,73,87,638	95,30,999	4,34,77,251	95,13,33,890	35,55,23,756	39,90,01,008
6	गोदी, समुद्री बांध आदि	18,18,56,439	0	0	18,18,56,439	16,74,28,076	0	20,39,679	16,94,67,755	1,23,88,684	1,44,28,363
7	क्रेनों और वाहनों	17,34,98,090	0	1,02,23,650	16,32,74,440	13,45,30,702	1,02,23,641	1,41,80,010	13,84,87,071	2,47,87,369	3,89,67,388
8	संयंत्र और मशीनरी	39,23,08,005	0	0	39,23,08,005	25,48,58,761	0	2,71,95,632	28,20,54,393	11,02,53,612	13,74,49,244
9	जल, बिजली, अग्निशमन एवं दूर संचार हेतु स्थापनाएँ	68,66,94,482	1,98,07,269	0	70,65,01,751	37,03,57,150	0	2,76,65,373	39,80,22,523	30,84,79,228	31,63,37,332
10	तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ	3,83,25,308	0	0	3,83,25,308	3,76,73,720	0	46,542	3,77,20,262	6,05,046	6,51,588
11	विविध परिसम्पत्तियाँ	99,77,582	0	0	99,77,582	80,77,468	0	3,73,761	84,51,229	15,26,353	19,00,114
	कुल	**6,76,59,97,577**	**27,76,76,761**	**2,00,83,648**	**7,02,35,90,690**	**3,05,98,94,951**	**1,97,94,664**	**20,29,48,020**	**3,24,30,48,307**	**3,78,05,42,383**	**3,70,61,02,626**
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	28,23,42,207	2,46,83,540	26,99,64,005	3,70,61,742	0	0	0	0	3,70,61,742	28,23,42,207
	कुल योग	**7,04,83,39,784**	**30,23,60,301**	**29,00,47,653**	**7,06,06,52,432**	**3,05,98,94,951**	**1,97,94,664**	**20,29,48,020**	**3,24,30,48,307**	**3,81,76,04,124**	**3,98,84,44,833**

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

उप अनुसूची -क

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

निधियों एवं सांविधिक संचयों का विवरण

जी/एल कोड	**भवन निर्माण अग्रिम-एफबीएफ**	**कर्मचारी कल्याण निधि**	**परिवार सुरक्षा निधि**	**प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं पूंजीगत संपदाओं के आधुनिकीकरण हेतु संचय**	**ऋणों एवं आकस्मिक व्ययों के पुनर्भुगतान विकास हेतु संचय**
	110100	110101	110102	110200	110201
	₹	₹	₹	₹	₹
1 अप्रैल 2020 तक शेष	35,77,158	29,81,211	71,726	9,83,85,897	6,88,95,897
योग: जीआरएफ से अंशदान	28,163	0	9,20,000		
कर्मचारियों से अंशदान	59,784	0	1,33,158		
बीमा निगम से दुर्घटना दावा	0	0	0		
निवेश पर ब्याज	1,83,041	0	0		
कुल	**38,48,145**	**29,81,211**	**11,24,884**	**9,83,85,897**	**6,88,95,897**
न्यून: निधि से व्यय/समायोजन	0	2,38,020	9,91,000		
31 मार्च 2021 तक शेष	**38,48,145**	**27,43,191**	**1,33,884**	**9,83,85,897**	**6,88,95,897**

ह/-
वितीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

उप अनुसूची-ख

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2021 तक बैंक में जमा राशि और नकदी

विवरण		₹
नकदी		55,368
कैष कार्ड		4,52,532
राष्ट्रीय एवं अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		21,37,86,163
बैंकों के साथ मियादी जमा:		
सामान्य संचय निधि	63,99,99,981	
जमा कार्य	2,01,95,39,077	
अन्दान	13,96,42,092	
कुल जमा		2,79,91,81,150
सामान्य भविष्य निधि		67,26,23,166
एचबीए एफबीएफ निवेश		30,00,000
कुल		**3,68,90,98,379**
राष्ट्रीय बैंकों के साथ शेष		3,68,90,43,011
अनूसूचित बैंकों के साथ शेष		शून्य

ह/-
वितीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

आय

	2020-21	2019-20
	₹	₹
उप-अनुसूची -ग		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार		
सामान्य कार्गो पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	27,54,75,970	23,40,66,483
क्रेन-भाड़ा	79,450	4,97,992
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकण्ट के हस्तन प्रभार	95,67,07,778	1,07,44,78,576
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	1,10,28,259	66,90,311
कंटेनरों पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	70,77,463	30,68,586
विविध प्रभार - कार्गो	1,48,67,247	1,40,34,102
आईसीटीटी से राजस्व शेयर	1,14,66,47,303	96,23,37,894
बंदरगाह अधिशुल्क-एलएनजी बेसिन	15,64,36,398	16,00,06,406
स्टीवडोरिंग एवं शोर हस्तन के लिए रोयालिटी	15,46,200	0
कुल	**2,56,98,66,070**	**2,45,51,80,349**
उप-अनुसूची- घ		
पोर्ट और गोदी प्रभार		
नौकर्षण एवं नौबन्ध प्रभार	36,76,80,631	22,33,26,814
बर्थ किराया प्रभार	37,54,99,631	28,31,23,536
पोर्ट देय	77,08,99,163	76,29,15,762
कन्हारी शुल्क	1,61,72,31,085	1,52,99,24,841
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	10,00,718	12,21,219
विविध प्रभार- जहाज़	40,83,458	64,28,678
निकर्षण सेवाओं से आय	4,39,19,310	2,94,52,737
मारिटाइम सेवा प्रभार सहित क्रूइस जहाज़ से आय	2,02,97,813	10,25,39,753
कुल	**3,20,06,11,809**	**2,93,89,33,340**
उप-अनुसूची -ङ		
रेलवे आमदनी	0	0
उप-अनुसूची- च		
संपदा भाड़ा		
ज़मीन से किराया	59,91,16,368	60,53,08,921
भवनों, शेड और गोदामों से किराया	10,70,76,515	10,57,87,091
विविध आय	34,30,72,000	36,72,26,936
विविध आय	1,34,46,876	1,78,77,561
कुल	**1,06,27,11,760**	**1,09,62,00,509**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2020-21	2019-20
	₹	₹
उप अनुसूची- छ		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार		
शेड एवं वार्फ़ों में सामान्य कार्गो के हस्तन एवं भण्डारण	35,77,83,596	36,92,94,646
कंटेनरों के हस्तन एवं भण्डारण	17,61,909	17,45,900
क्रेन के प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,09,65,374	2,29,39,582
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकेंट के हस्तन	7,13,14,480	7,58,45,109
वार्फ़ों एवं चौहदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	33,92,609	39,02,030
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	7,35,28,500	6,99,78,083
नये लघु कार्य	24,000	98,500
कुल	**52,87,70,468**	**54,38,03,851**
उप अनुसूची-ज		
कन्हारी शुल्क समेत पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ		
नौकर्षण,बर्थिंग एवं नौबंध	18,02,97,435	17,69,06,465
कन्हारी शुल्क	6,57,33,525	6,41,94,815
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	28,46,425	66,54,463
अग्निशमन	9,09,43,313	8,83,01,128
निकर्षण एवं समुद्री पर्यवेक्षण	80,01,45,708	82,24,42,653
हार्बर गश्ती दल	81,64,065	67,34,923
नौसंचालन संबंधी सहायता के प्रचालन एवं अनुरक्षण	3,39,50,563	2,71,68,969
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	37,04,73,279	33,09,09,217
नये लघु कार्य	66,474	2,901
कुल	**1,55,26,20,786**	**1,52,33,15,536**
उप अनुसूची - झ		
रेलवे कार्य		
स्टेशन, अन्य भवनों एवं संरचनाओं का अनुरक्षण	0	0

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2020-21	2019-20
	₹	₹
उप अनुसूची -ञ		
किराये योग्य भूमि और भवनों		
संपदा अनुरक्षण	14,57,76,740	17,34,66,472
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	8,60,00,216	9,73,87,275
कुल	**23,17,76,956**	**27,08,53,747**
उप अनुसूची - ट		
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन		
प्रबंधन एवं सचिवालय व्यय	32,35,75,951	36,12,40,916
चिकित्सा व्यय	12,26,25,218	13,49,80,940
भण्डार रक्षण	2,09,00,371	2,18,95,472
लेखांकन एवं लेखा परीक्षण	22,95,45,052	23,82,23,428
मुख्य कार्यालय भवन एवं दूरभाष	91,52,220	96,73,400
अभियंत्रण एवं शिल्पशाला प्रशासन	13,73,57,458	15,41,38,530
अतिरिक्त और विविध व्यय	27,79,73,061	30,05,04,146
नये लघु कार्य	26,649	1,16,151
कुल	**1,12,11,55,979**	**1,22,07,72,982**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

जीएल कोड	विवरण	2020-21	2019-20
		₹	₹
	उप अनुसूची - ठ		
	वित्त और विविध आय		
540000	विविध प्राप्तियाँ	7,73,23,125	6,76,56,395
540001	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	30,96,517	91,63,018
540003	आईजीटीपीएल से प्राप्य ब्याज	0	88,07,766
540004	पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर बीमा दावा की वसूली	5,11,037	5,71,527
540005	ब्याज आय	7,87,28,060	8,89,72,092
540006	बिना कारामद भंडारण का क्रय	1,09,54,222	27,03,523
540007	मोटर लॉरी और विविध संयंत्रों का किराया	54,272	44,087
540008	परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिये प्रभार	4,55,44,584	4,95,67,618
540009	पिछले वर्ष से संबंधित मदें	16,95,44,813	8,30,15,474
540010	पेंशनभोगियों के लिये चिकित्सा योजना	61,660	74,962
540011	गैर हकदार लोगों के लिये चिकित्सा उपचार	2,11,636	6,22,581
540012	भूमि के लीज हेतु प्रीमियम	4,97,63,989	4,19,38,395
540013	इंडिया योजना (एस ई आई एस) से सेवा निर्यात	8,39,478	7,88,49,334
	कुल	**43,66,33,392**	**43,19,86,772**
	उप अनुसूची - ड		
	वित्त और विविध व्यय		
670002	बैंक प्रभार	9,26,602	4,99,664
670004	संदिग्ध ऋण के लिये प्रावधान	48,86,415	46,30,937
670006	कर्मचारी कल्याण निधि के लिये अंशदान	0	7,20,000
670007	परिवार सुरक्षा निधि के लिये अंशदान	9,20,000	8,50,000
670008	पेंशन भुगतान समेत पेंशन निधि न्यास के लिये अंशदान	3,48,99,39,800	2,62,35,24,947
670009	पिछले वर्षों से संबंधित मद	2,87,53,343	20,25,80,137
670010	सीपीटीई एचबीए एफबीएफ के लिये अंशदान	28,163	39,350
670012	सीपीई नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	1,14,67,549	1,13,68,322
670014	उपदान निधि न्यास के लिये अंशदान	21,70,93,427	29,54,19,734
670023	बिजली जमा पर ब्याज	23,51,980	33,19,850
670026	अन्य स्त्रोत ऋणों पर ब्याज	3,88,896	3,88,896
670027	व्यवहार्यता एवं अनुसंधान व विकास अध्ययनों पर व्यय	3,46,329	4,70,112
670031	सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्व	63,90,881	67,13,546
	कुल	**3,76,34,93,384**	**3,15,05,25,494**

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु अतिरिक्त अनुसूची

परिचालन व्यय

जीएल कोड	विवरण	2020-21 ₹	2019-20 ₹
	वेतन एवं मजदूरी::		
600000	वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	20,52,55,119	19,64,51,743
600002	पीएलआर	1,99,39,716	2,28,84,227
600003	समयोपरि	94,16,840	1,37,46,223
600004	प्रोत्साहन	23,85,323	28,06,761
600005	मानदेय	23,92,269	84,71,890
600006	अवकाश नकदीकरण	6,14,16,651	7,08,96,934
600007	वेतन एवं मजदूरी (परिचालन)	65,50,32,062	66,85,33,080
600008	वेतन एवं मजदूरी (आर एण्ड एम)	36,13,61,966	39,20,79,142
600010	अवकाश यात्रा रियायत	89,609	14,83,022
600011	कर्मचारी सुविधा और कल्याण उपाय	16,780	28,810
600012	नियोक्ता ईएसआई अंशदान	10,04,325	11,80,698
600013	नियोक्ता ईपीएफ अंशदान	36,24,266	36,94,632
640000	वेतन(पत्तन सुरक्षा)	1,88,20,138	2,33,69,353
650000	वेतन एवं मजदूरी-चिकित्सा	9,07,04,041	9,77,45,708
	कुल (क)	**1,43,14,59,106**	**1,50,33,72,223**
	भण्डार		
610000	भण्डार-सामान्य	11,13,801	9,27,950
610001	भण्डार-यूनिफार्म	9,21,091	6,41,032
610002	भण्डार-परिचालन	68,85,762	68,26,000
610003	भण्डार-ईंधन	19,92,44,040	14,34,39,252
610004	भण्डार(आर एण्ड एम)	1,13,25,310	90,37,034
	कुल (ख)	**21,94,90,004**	**16,08,71,267**
	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय		
620000	स्टोर-स्टेशनरी की खपत	3,20,458	5,52,108
620001	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0	22,648
620002	यात्रा व्यय	10,43,108	40,08,637
620004	कुरियर शुल्क	1,54,435	1,96,627
620005	लाइसेंस शुल्क व अधिशुल्क	31,17,756	29,08,031
620006	उपकरण और फर्नीचर	1,65,611	2,09,766

जीएल कोड	विवरण	2020-21	2019-20
		₹	₹
620010	विविध व्यय	48,10,723	58,77,239
620011	नये लघु कार्य	1,60,395	12,78,340
620013	मनोरंजन	21,56,356	2,93,439
620014	प्रशिक्षण कार्यक्रम	42,319	11,83,425
620015	क्रीड़ा और खेल कूद	1,69,292	9,00,000
620016	विधिक प्रभार	55,00,700	99,21,090
620017	मुद्रण प्रभार	6,88,431	6,18,833
620018	कार्यालय मशीन किराया और सेवा शुल्क	31,846	45,480
620019	प्रचार और विज्ञापन	13,08,248	41,35,137
620020	लेखा परीक्षा और लेखांकन	47,34,873	41,86,648
620021	किराया, दरों और शुल्कों	34,74,081	55,47,830
620022	दूरभाष	15,11,699	12,80,092
620023	अभिदान	1,33,183	1,59,017
620025	आईपीए शेयर अंशदान	1,46,83,211	3,82,44,079
620026	विपणन व्यय	12,51,021	12,86,550
	कुल (ग)	**4,54,57,746**	**8,28,55,017**
	<u>परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय</u>		
630000	ठेका सड़कों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	1,00,29,114	48,97,252
630001	ठेका भवनों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	92,06,723	92,76,892
630002	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	30,38,307	32,00,962
630004	प्लव यान का शुष्क गोदीयन	2,88,88,476	6,08,58,653
630005	ठेका सड़कों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	7,75,356	3,15,84,637
630006	ठेका भवनों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	43,10,924	1,32,46,793
630007	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	75,72,560	44,31,528
630008	वाहनों का किराया और परिवहन प्रभार	97,44,036	98,72,077
630009	जल प्रभार	4,66,01,333	4,66,57,178
630012	बिजली प्रभार	25,37,76,577	26,77,98,762
630013	बोट, टॉग एवं लॉन्च का किराया	20,75,80,939	19,85,16,420
630015	निकर्षण अनुरक्षण	69,96,72,471	70,58,99,815
630016	विविध व्यय	4,09,33,539	3,95,12,396
630017	बीमा	60,83,372	54,69,626
630018	स्व खपत-बिजली	1,30,34,432	1,84,31,563
	कुल (घ)	**1,34,12,48,158**	**1,41,96,54,554**

जीएल कोड	विवरण	2020-21	2019-20
		₹	₹
	<u>सुरक्षा व्यय</u>		
640001	गश्त के लिए नाव का किराया	29,51,257	27,05,311
640002	आई एस पी एस	2,00,000	0
640004	के.औ.सु.ब.-तैनाती प्रभार	15,30,62,144	15,80,43,412
640005	एसईजेड-लागत वसूली	10,67,586	13,41,702
640006	निजी सुरक्षा प्रभार	60,50,143	63,57,977
	कुल(ङ)	**16,33,31,131**	**16,84,48,402**
	<u>चिकित्सा व्यय</u>		
650001	विशेषज्ञों को वेतन, शुल्क और मानदेय	22,33,347	34,76,859
650002	भण्डार-चिकित्सा	1,97,67,145	2,21,07,678
650003	प्रावधान-चिकित्सा	95,079	4,47,722
650004	अस्पताल उपकरण	90,302	43,067
650005	चिकित्सा व्यय	16,19,788	15,09,470
650006	बाहरी अस्पतालों को भुगतान प्रभार	65,84,362	93,01,679
	कुल (च)	**3,03,90,024**	**3,68,86,474**
	<u>मूल्यह्रास</u>		
	वर्ष के लिये अवमूल्यन	19,17,69,609	18,59,60,550
670021	पूर्वावधि अवमूल्यन	1,11,78,411	6,97,629
	कुल (छ)	**20,29,48,020**	**18,66,58,179**
	कुल योग (क) से (छ) तक	**3,43,43,24,189**	**3,55,87,46,115**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची - IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31 मार्च 2021 तक तूलन पत्र

(राशि रुपये में)

	विवरण	2020-21		2019-20	
क	**निधियों के स्त्रोत**				
	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता	19,10,32,261		19,10,32,261	
	न्यून : अनुदान प्रयुक्त	18,98,45,895	11,86,366	18,98,45,895	11,86,366
	कुल		**11,86,366**		**11,86,366**
ख	**निधि का उपयोग**				
	अचल सम्पत्ति				
	सकल ब्लॉक	18,98,45,895		18,98,45,895	
	कार्य प्रगति पर	0		0	
		18,98,45,895		18,98,45,895	
	न्यून : प्राप्त अनुदान	18,98,45,895	0	18,98,45,895	0
	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
	क. चालू परिसम्पत्तियाँ:				
	(i)निवेश पर अर्जित ब्याज	7,65,498		18,88,895	
	(ii)विविध देनदार	1,26,51,679		1,24,40,267	
	(iii)नकद और बैंक में जमा राशि	3,83,74,463		4,76,87,706	
	ख. ऋण एवं अग्रिम	2,78,687		2,58,103	
	कुल	5,20,70,327		6,22,74,971	
	न्यून:चालू देनदारियों और प्रावधानों	8,59,61,443		8,82,64,733	
	निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		-3,38,91,116		-2,59,89,762
	लाभ और हानि लेखा (संचित घाटा)	3,50,77,482	3,50,77,482		2,71,76,127
	कुल		**11,86,366**		**11,86,366**

ह/-
वितीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31 मार्च 2021 तक तूलन पत्र

(राशि रुपये में)

व्यय	राशि 2020-21	राशि 2019-20	आय	राशि 2020-21	राशि 2019-20
वेतन और अन्य लाभ	2,70,11,518	2,97,42,402	टोल संग्रह	57,82,765	98,70,301
बिजली प्रभार	17,53,487	22,92,425	बिजली प्रभार	14,87,345	21,35,174
सुरक्षा प्रभार	31,64,832	27,31,032	मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	33,64,059	52,99,868
जल प्रभार	12,03,236	12,77,522	भूमि पर लीज भाड़ा	74,70,541	1,13,91,045
मरम्मत और अनुरक्षण	15,62,712	31,31,701	भवन एवं जमीन भाड़ा	47,98,361	60,98,113
व्यावसायिक प्रभार	5,17,705	5,79,650	विविध प्राप्तियाँ	19,14,505	9,10,828
मुद्रण और लेखन सामग्री	58,615	2,12,929	स्लीपवे का लीज	20,48,886	20,15,181
विविध व्यय	58,813	48,551	जल प्रभार	7,37,850	9,99,628
यात्रा व्यय	14,383	45,237	लाइसेंसीकरण एवं लाइसेंस शुल्क	4,82,874	6,19,858
पूर्व अवधि व्यय	1,39,479	16,91,930	मत्स्य अवतरण प्रभार	4,55,345	5,42,892
दूरभाष प्रभार	50,397	46,913	बैंक ब्याज	19,74,366	44,58,269
राजस्व एवं डाक टिकट	2,634	2,657	मत्स्य ग्रहण यानों का नामांकन	90,827	1,92,577
सेवानिवृत्त फायदा के लिए प्रावधान	29,71,267	32,71,664	निवल घाटा	79,01,354	5,40,878
	3,85,09,077	**4,50,74,613**		**3,85,09,077**	**4,50,74,613**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची- IX

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिये प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियाँ	राशि 2020-21	राशि 2019-20	भुगतान	राशि 2020-21	राशि 2019-20
हाथ में आदि नकद	82,210	2,04,879	वेतन और पीएलआर	3,12,17,383	2,16,42,575
बैंक में आदि नकद	4,76,05,496	3,79,07,402	यात्रा व्यय	22,501	29,915
मत्स्य ग्रहण यानों का पंजीकरण	90,827	1,92,577	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	58,259	1,91,383
लाइसेंसीकरण एवं लाइसेंस शुल्क	4,82,874	6,19,858	राजस्व और डाक टिकट	2,634	2,306
भूमि पर लीज भाड़ा	83,35,520	89,58,183	मरम्मत और अनुरक्षण	15,62,712	14,52,784
भवन और जमीन भाड़ा	38,10,885	41,63,256	एसडी/जमीन भाड़ा का प्रतिदाय	3,46,160	4,70,170
जलावतरण(स्लीपवे) का लीज	19,87,534	32,47,016	दूरभाष प्रभार	50,540	46,076
मत्स्य अवतरण प्रभार	4,55,345	5,42,892	बिजली प्रभार	17,53,487	22,92,425
मत्स्य बाहरी हस्तन प्रभार	33,64,059	52,99,868	जल प्रभार	12,03,236	12,77,522
बिजली प्रभार	13,05,551	18,90,549	चेक प्रभार	10,182	13,921
टोल संग्रह	57,82,765	98,70,301	विविध व्यय	48,755	34,042
विविध जमा/प्रतिभूति	3,39,946	6,55,377	व्यावसायिक प्रभार	6,06,205	5,04,650
विविध प्राप्तियाँ	19,13,068	8,90,266	सुरक्षा प्रभार	29,17,080	27,31,032
बैंक ब्याज	30,97,763	45,82,128	टी डी एस देयिता भुगतान	1,29,905	1,24,024
टी डी एस देयिता	1,38,067	1,22,548	प्राप्य टीडीएस	40,581	31,784
जल प्रभार	5,95,413	8,65,487	पूर्वावधि व्यय	50,872	21,94,471
संग्रहित जी एस टी	48,90,437	62,38,913	जी एस टी भुगतान	52,54,827	48,68,747
			जी एस टी सेंवाट क्रेडिट	6,27,977	6,55,966
			इति नकद शेष	91,655	82,210
			इति बैंक शेष	3,82,82,808	4,76,05,496
	8,42,77,760	**8,62,51,500**		**8,42,77,760**	**8,62,51,500**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

वार्षिक लेखा पर टिप्पणी 2020-21

भाग I-महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के आधार पर आय और व्यय का हिसाब किया गया है।

2. आय का हिसाब करते समय रूढ़िवाद के सिद्धांत का पालन किया गया है।

3. अचल संपत्ति और वस्तुसूचियों का हिसाब ऐतिहासिक लागत विधि पर किया गया है।

4. जीवन काल के अंत में संपत्ति का मूल्य 1/- रुपये मानकर सीधे तौर पर लेखा में अवमूल्यन प्रदान किया जाता है। संपत्ति का जीवन काल भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर तय किया जाता है। पूंजीकरण की तिथि से आनुपातिक रूप से अवमूल्यन का शुल्क लिया जाता है।

5. लंबी अवधि के निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन लागत से कम या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

6. भूमि की लीज पर प्राप्त अग्रिम भुगतान संपूर्ण लीज अवधि पर लागू है।

7. भूमि की लीज पर प्रीमियम वित्त एवं विविध आय के तहत प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में स्वीकार जाता है।

8. पूर्व अवधि के मद, यानी, आय या व्यय जो वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या चूक या बिलों में संशोधन के कारण या एक या अधिक पूर्व अवधि के दावे के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, को वित्त व विविध आय या वित्त व विविध व्यय के तहत शामिल किया गया है।

9. विभिन्न कोष में निवेश से प्राप्त आय को संबंधित कोष में जमा किया जाता है।

10. आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण लेखा के "अन्य नोट्स" किया जाता है।

11. विशिष्ट अचल संपत्तियों से संबंधित अनुदान में अंकित मूल्य पर पहुंचने से संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य में कटौती के रूप में अनुदान को दर्शाते हुए तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

12. कार्गो और पोत संबंधित सेवाओं पर राजस्व को सेवा के पूरा होने पर स्वीकार किया जाता है। संपदा से राजस्व समय के आधार पर स्वीकार्य है।

13. निर्यात प्रोत्साहन तब स्वीकार्य है जब शर्तों को पूरा किए जाने और प्रोत्साहन प्राप्त होने का एक उचित आश्वासन हो।

14. मौजूदा कार्यों के लिए सभी नए कार्य या परिवर्धन/परिवर्तन या सभी नए संयंत्र या उपकरण या क्राफ्ट या प्रतिस्थापन जिसकी कीमत 1 लाख रुपये से अधिक न हो या जीवन काल पाँच वर्ष से अधिक न हो, से नए सामान्य कार्य के रूप में राजस्व शुल्क लिया जाता है।

15. पट्टाधारियों से लिए गए भवन का लेखांकन वर्णन इस प्रकार होगा:

मामला I: जब भवन किसी पट्टेदार से लागत के साथ या बिना किसी लागत के लिया जाता है और बाद में पट्टे के साथ या बिना पट्टे के या स्वयं के उपयोग के लिए भाड़े पर दिया जाता है इस तरह के भवन को लेखा पुस्तिका में 1 रुपये या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार लागू स्वीकार्य/मूल्यह्रास लागत पर पूंजीकृत किया जाएगा।

मामला II: जब भवन पट्टेदार से लिया जाता है (जो सीओपीटी के अस्थायी प्रकृति के अधिकार में है) और नए पट्टेदार को भवन की लागत एवं भूमि के साथ पट्टे पर दिया जाना है, ऐसे में नए पट्टेदार से प्राप्त राशि पुराने पट्टेदार को पोर्ट को देय यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद दी जाएगी। इस मामले में भवन/परिसंपत्ति लेखा पुस्तिका में पूंजीकृत नहीं किया जाएगा परन्तु वर्ष के अंत में अभी तक लीज पर नहीं ली गई भवन का विवरण वार्षिक लेखा का एक भाग लेखा पर टिप्पणियें में प्रकट किया जाएगा।

ऐसी स्थिति में जहां पुराने पट्टेदार द्वारा पोर्ट को भवन को शून्य मूल्य पर स्थानांतरित किया जाता है लेकिन नए पट्टेदार ने नीलामी के बाद भवन के मूल्य का भुगतान किया है , भुगतान किए गए ऐसे मूल्य को पोर्ट के वित्त और विविध आय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

<u>भाग II- अन्य टिप्पणियाँ</u>

16. वर्ष के दौरान जहां भी आवश्यक हो, मदों के परिणामी परिवर्तन के आधार पर तुलन पत्र के आंकड़े, पी एण्ड एल लेखा व अनुसूचियों को फिर से एकत्र किया गया है।

17. पोर्ट का निष्पादन

कोचिन पोर्ट वर्ष 2019-20 में 34.04एमएमटी की तुलना में वर्ष 2020-21 में 31.50 एमएमटी कार्गो हस्तन किए। वर्ष 2020-21 में पोर्ट से 1475 जहाज़ों का निर्गम हुआ जब की 2019-20 में यह 1589 था। पोर्ट ने वर्ष 2019-20 के 6,20,06 1 टीईयू की तुलना में वर्ष 2020-21 में 6,89,697 टीईयू कंटेनरों का हस्तन किया है।

18 अनुदान सहायता :

ए) विभिन्न मंत्रालयों से पोर्ट द्वारा प्राप्त अनुदान को राष्ट्रीयकृत बैंकों में मियादी जमा के रूप में रखा जाता है और आवश्यकता नुसार उसका नकदीकरण किया जाता है। इस तरह के निवेश से प्राप्त ब्याज को संबंधित अनुदानों में जमा किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न अनुदानों से प्राप्त ब्याज 0.37 करोड़ रुपये है। वर्ष 2020-21 के दौरान पर्यटन मंत्रालय को 0.83 करोड़ रुपये का ब्याज प्रतिदान किया गया।

बी) 31.03.2021 को अनुदान की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	राशि (रुपये करोड़ में)
01.04.2020 तक अनुदान की शेष राशि (मंत्रालय से प्राप्य अनुदान का निवल)	14.53
योग: विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	15.14
योग: 2020-21 के दौरान अर्जित ब्याज	0.37
2020-21 के दौरान किया गया न्यून व्यय	12.25
पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार पर्यटन मंत्रालय को चुका ए ग ए न्यून ब्याज	0.83
31.03.2021 तक शेष अनुदान	**16.96**

सी) वाणिज्य मंत्रालय ने वर्ष 2013 में एमयूएलटी परियोजना के एक अंश के रूप में एएसआईडीई योजना के अंतर्गत पुत्तुवाईपीन में बार्ज बर्थ के निर्माण के लिए 31.9 3 करोड़ रुपये की कुल प्राक्कलित लागत से 15 करोड़ रुपये मंजूर किया था। इसके एवज़ में पोर्ट ने दि.05.08.2013 को 7.50 करोड़ रुपये एवं दि.30.03.2017 को 0.88 करोड़ रुपये प्राप्त किया था। मार्च, 2018 में मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार इस अनुदान पर अर्जित 1.40 करोड़ रुपये के ब्याज को अनुदान खाते में डाला गया था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने 'सीएफएस का सुधार' मूल परियोजना यानी कोचिन पोर्ट में बंकर हस्तन हेतु बार्ज बर्थ के निर्माण जिसकी लागत सीओपीटी के अंकित मूल्य के अनुसार 0.70 लाख रुपये है, परियोजना से अप्रयुक्त शेष के उपयोग को भी मंजूरी दी थी । 31.03.2021 तक परियोजना के लिए कुल व्यय 36.16 करोड़ रुपये है जिसमें से 50% यानी 18.08 करोड़ रुपये को प्राप्त ब्याज सहित 10.48 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता में समायोजित किया गया है।

पोर्ट ने "निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)" या "सागरमाला" योजनाओं के तहत शेष निधि के लिए प्रयास किया। हालांकि, मंत्रालय ने पोर्ट ट्रस्ट को सूचित किया कि इन योजनाओं में से किसी के तहत बार्ज बर्थ परियोजना हेतु वित्तपोषण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

चूंकि लेखा परीक्षा के सुझावों के अनुसार इस परियोजना के खिलाफ अनुदान बढ़ाने की संभावना बहुत क्षीण है, वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना में 7.61 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत को पूंजीगत कार्य प्रगति में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसे 2020-21 के दौरान 25.69 करोड़ रुपये की पूर्ण लागत पर पूंजीकृत किया गया है क्योंकि संपत्ति उपयोग के लिए तैयार है।

19. **भारत सरकार से लिया गया ऋण**

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित 31.03.2016 को भारत सरकार के ऋण की अंतिम देनदारी 558.53 करोड़ रुपये है। प्रतिबद्धता के अनुसार पोर्ट ने मार्च 2019 और मार्च 2020 प्रत्येक में 55.85 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त का भुगतान किया है।

कोविद-19 महामारी और परिणामतः पोर्ट के यातायात और वित्तीय स्थिति में आई गिरावट के कारण भारत सरकार के ऋण की तीसरी किस्त का भुगतान हेतु 3 वर्षों का समय बढ़ाने के लिए 02.07.2020 को मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए जिनका उत्तर पोर्ट द्वारा दिया गया। बाद में मंत्रालय ने पत्र दिनांक 27.01.2021 में पोर्ट को भारत सरकार के ऋण का भुगतान करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 66 के अनुसार या अन्य पोर्ट या मुक्त बाज़ार से ऋण लेने के लिए कहा। चूंकि उधार की उच्च लागत के मद्देनजर भारत सरकार के ऋण का भुगतान करने के लिए एक और ऋण का विकल्प चुनना बुद्धिमानी नहीं थी , मंत्रालय को तदनुसार उत्तर दिया गया था। तत्पश्चात मंत्रालय ने पत्र दिनांक 09.03.2021 में पोर्ट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन की मांग के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कहा और उसके बाद कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुसार, प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा संकल्प संख्या 156 दिनांक 26.03.2021 को अनुमोदित किया गया और मंत्रालय को अवगत कराया गया।

20. पूंजीकरण:

वर्ष 2020-21 के दौरान 27.77 करोड़ रुपये की संपत्ति का पूंजीकरण किया गया है। 3.71 करोड़ रुपये राशि के साथ 31.03.2021 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर है।

21. **पूंजीगत व्यय:**

वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये करोड़ में)
1	सरकारी बजटीय सहायता से बाहर (जीबीएस)	0.16
2	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में से (आईईबीआर)	
	ए) आंतरिक संसाधन	4.39
	बी) विभिन्न मंत्रालयों से अनुदान	12.15
	सी) अन्य अभिकरणों	0.57
	कुल पूंजीगत व्यय	**17.27**

22. प्रावधान :

2020-21 के दौरान, श्रेणी I और II के अधिकारियों को देय संशोधित वेतन बकाया का 50%, 5.90 करोड़ रुपये है और वर्ष के दौरान पेंशन और ग्रेच्युटी बकाया राशि क्रमशः6.88 करोड़ एवं 0.96 करोड़ रुपये का भी भुगतान किया गया।

23. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व

पत्तन, पोत पहिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर के लिए 63,90,881 रुपये प्रदान की गई है। (2019-20 के दौरान लाभ का 3% यानि21,30,29,360 रुपये)

24. सेवा शुल्क

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने एस्टेट किराया, जेटी पर किराया, लाइसेंस शुल्क, अग्रिम भुगतान, मैसर्स आईजीटीपीएल से रॉयल्टी पर दी गई सेवा एँ, और सेनवैट क्रेडिट, अयोग्य सेनवैट क्रेडिट, सुरक्षा सेवाओं के लिए सीआईएसएफ आनुपातिक शुल्क , कानूनी शुल्क, एमपीएसओ चालान पर सेवा कर का गैर-भुगतान, निर्णीत हर्जाना आदि पर दी गई सेवाओं पर सेवा शुल्क के गैर संग्रहण के लिए कुल 70.36 करोड़ रुपये का दावा करते हुए 26 कारण बताओं नोटिस जारी किया है। कानूनी राय के आधार पर , पोर्ट ट्रस्ट ने अपील दायर की है और सभी मामले उचित प्राधिकरण/न्यायाधिकरण/केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

25. आय कर

ए) आयकर निर्धारण मूल्यांकन वर्ष 2018-19 तक पूरा हो गया है।

बी) वर्ष 2020-21 के दौरान मूल्यांकन वर्ष 201 7-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए क्रमश: 5.60 करोड़, 10.48 करोड़ और 10.49 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड (ब्याज सहित) प्राप्त हुआ।

सी) माननीय आईटीएटी के आदेश के अनुसार पिछले मूल्यांकन वर्षों की आय के अधिक आवेदन पर विचार करने हेतु मूल्यांकन वर्ष 2007-08 के लिए पत्तन द्वारा दायर किए गए सुधार याचिका क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास लंबित है।

26. आस्थगित कर

आय एएस-22 पर करों के लिए लेखांकन पर लेखा मानक के संदर्भ में भविष्य में कर योग्य मुनाफे की आभासी/उचित निश्चितता के अभाव में खातों में आस्थगित कर संपदा (नेट) को स्वीकार नहीं किया गया है।

27. आर्बीट्रेशन व कानूनी कार्यवाही

ए) मेसर्स आईजीटीपीएल ने आर्बीट्राल ट्रीबूनाल के समक्ष 300 करोड़ रुपये का दावा दायर किया है, जवाब में पोर्ट ने में 1070.71 करोड़ रुपये का जवाबी दावा किया है जिसमें, पूंजीगत व अनुरक्षण ड्रेजिंग कार्य, पोत संबंधी प्रभारों में छूट के कारण नुकसान, सुविधाओं के उपयोग के कारण राजस्व हिस्सेदारी का नुकसान, आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती की लागत एवं 01.04.2005 से 28.02.2011 तक आईजीटीपीएल में प्रतिनियुक्त पोर्ट कर्मचारियों के संबंध में अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी योगदान की प्रतिपूर्ति आदि शामिल है। 12.05.2017 को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने आवर्ड पारित किया। लाइसेंस अवधि शुरू होने की तिथि संबंधी मामला आईजीटीपीएल के पक्ष में गया। आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती संबंधी लागत और अवकाश वेतन , पेंशन व ग्रेच्युटी

योगदान की प्रतिपूर्ति के मुद्दे के संबंध में , न्यायाधिकरण ने कहा कि आईजीटीपीएल को लागत वहन करना है, लेकिन भुगतान की जाने वाली राशि को विनिर्दिष्ट नहीं किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि पार्टियों को दावेदार द्वारा भुगतानयोग्य राशि को तय करना होगा और यह सुलह आपस में मिलकर करना होगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के विशेषज्ञ की राय के आधार पर सीओपीटी ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 16.08.2017 को पारित आवर्ड के खिलाफ जिला न्यायालय, एरणाकुलम में 12.05.2017 को याचिका दायर की। 12.05.2017 को पारित आर्बिट्रल आवर्ड को चुनौती देते ओपी (आर्बि) सं.866-2017 लंबित है।

बी) मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि., जो "वर्ष 2007-08 के लिए कोचिन पोर्ट में चैनलों के अनुरक्षण हेतु ड्रेजिंग कार्य" के अनुबंध को कार्यान्वित किया था, ने अनुबंध में आर्बिट्रेशन खण्ड को शुरू किया एवं 3.51 करोड़ रुपये का दावा किया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 15.05.2013 को पारित आर्बिट्रेशन आवर्ड में कोचिन पोर्ट को दावे कि तिथि(19.04.2012) से आवर्ड पारित होने की तिथि तक सालाना 9% ब्याज दर के साथ मेसर्स जैशु शिपिंग कंपनी को 0.87 करोड़ रुपये एवं उसी दर में भुगतान होने की थिति तक भुगतान करने का निर्देश दिया। इस आवर्ड से असंतुष्ट कोचिन पोर्ट ने 15.05.2013 को एरणाकुलम के माननीय जिला न्यायालय में आर्बिट्रेशन व सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत आर्बिट्रेशन आवर्ड को चुनौती दी। माननीय जिला न्यायालय ने अपने आदेश दि.31.01.2020 के अनुसार ओ.पी.(आर्बि) सं.512/2013 को ख़ारिज किया, जो पोर्ट को 29.02.2020 को प्राप्त हुआ। पोर्ट ने 03.03.2020 को विधि सलाहकार मेसर्स जोसफ एण्ड कुरियन से इस आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने के अवसर के संबंध में कानूनी राय मांगा है। विधि सलाहकारों की राय के आधार पर कि अधिनियम की धारा 37 के तहत आगे अपील दायर करने की कोई गुंजाइश कोई नहीं है , ओ.एस संख्या.175/2011 में निर्णय और डिक्री के तहत इस संदर्भ में मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कांडला से पोर्ट को देय राशि 19-04-2012 से भुगतान किए जाने तक प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड , कांडला को देय राशि यानी रु.87 लाख रुपये के समायोजन एवं इस मामले को बंद करने के लिए इसे अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सी) मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा.लि. से देय प्रायोजन शुल्क के संबंध में मुकदमा को 26.09.2013 को कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के पक्ष में वोल्वो ओशन रेस के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2.98 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। पोर्ट द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार , सीओपीटी डिक्री की तारीख से 12 वर्षों के भीतर राशि की वसूली के लिए निष्पादन याचिका दायर कर सकता है। हालांकि, इसके लिए मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली

संपत्तियां जिनके पास संलग्न करने के लिए कोई भार नहीं है , उनकी पहचान की जानी है और अन्य सिविल प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

पहले ओएस 175/2011 में डिक्री के निष्पादन के लिए जांच में मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा . लिमिटेड की कोई संपत्ति नहीं पाई गई थी। चूंकि सीओपीटी के पक्ष में डिक्री मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड को देय राशि से काफी अधिक है कानूनी सलाहकार मेसर्स जोसेफ एण्ड कुरियन अधिवक्ताओं ने पहले समायोजन की मांग करते हुए मेसर्स जैसू को एक पत्र जारी करके इसे समायोजित करने का विचार किया और उसके बाद या तो समायोजन दर्ज करने के लिए या डिक्री की कुर्की के लिए अदालत में आवेदन दायर करने के लिए कदम उठाने होंगे। बाद में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी प्रा . लिमिटेड को समायोजन के लिए दिनांक 13.04.2021 का एक पत्र जारी किया गया है। हालांकि, कोई इस पर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

डी) अनुबंध संख्या 52 वर्ष 2008-09 के अंतर्गत 01.09.2008 से 31.12.2010 तक कोचिन पोर्ट के अनुरक्षण ड्रेजिंग एवं 14.50 मीटर ड्राफ्ट कंटेनर जहाज़ों के लिए यथा अपेक्षित गहराई प्रदान करने हेतु आईसीटीटी बर्थ बेसिन एवं आप्रोच चैनल के पूंजीगत ड्रेजिंग के लिए अनुबंध मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. को सौंपा गया था, जो प्रदेय प्रदान करने में असफल रहा जिसके कारण पोर्ट द्वारा भुगतान को रोक दिया गया। जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत 19.25 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को 2011-12 में नकदीकरण किया गया। पार्टी ने इसके बाद अनुबंध में आर्बिट्रेशन क्लॉज लागू किया।

केरल के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. ने पुनर्गठित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष उनके द्वारा लगाए गए सभी अतिरिक्त दावों के साथ 795 करोड़ रुपये की संशोधित दावा प्रस्तुत किया है जिसके लिए सीओपीटी ने अपने बचाव में बयान प्रस्तुत किया है। जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि.ने पहले से किए गए काम के लिए अंतिम बिल के भुगतान , सुरक्षा जमा की जारी व प्रतिदेय, प्रतिधारण राशि एवं नकदीकृत निष्पादन गारंटी के भुगातान का भी दावा किया है। पोर्ट ने 33 2 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दावेदार की दलीलें ने सुनवाई की गई। चूँकि जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. ने कई सुनवाई के लिए आर्बिट्रेटर की फीस के भुगतान में चूक किया है, उनके द्वारा प्रस्तुत दावों की कार्यवाही को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने समाप्त कर दिया और उसके बाद केवल सीओपीटी के जबावी दावा की सुनवाई की जाएगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की अंतिम बैठक 14.03.2020 को हुई थी। दावेदार के वकील ने अपना वकालत वापस ले लिया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार प्रतिवादी के कानूनी वकील ने दावेदार को व्यक्तिगत रूप से या नए वकील के माध्यम से पेश होने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 03.04.2020 निर्दिष्ट करते हुए नोटिस दिया। परन्तु कोविद-19 महामारी के कारण

03.04.2020 को होने वाली बैठक को अगली तिथि विनिर्दिष्ट किए बिना स्थगित कर दिया गया। इस बीच पीठासीन आर्बीट्रेटर का 05.10.2020 को निधन हो गया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अभी तक पुनर्गठन नहीं किया गया है।

चूंकि आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है अनुरक्षण ड्रेजिंग के लिए जनवरी 2011 एवं मार्च 2011 के लिए 3.69 करोड़ रुपये की बिल को पास नहीं किया गया है।

ई) मेसर्स जखाउ साल्ट कंपनी प्रा.लि. द्वारा मट्टांचेरी वार्फ़ के पतन के कारण 1.47 करोड़ रुपये की माल के नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया गया था जो पोर्ट के खिलाफ़ गया। पोर्ट ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, जो अभी भी लंबित है।

एफ) कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में 110 केवी सब-स्टेशन और तत्संबंधी कार्यों की स्थापना और कमीशनिंग कार्य 16.03.2007 को मेसर्स सीमेंस लिमिटेड , चेन्नई को दी गई और मेसर्स सीमेंस लिमिटेड को समझौते के अनुसार 12 महीने की अवधि में इस कार्य को पूरा करना था। चूंकि काम पूरा करने में 9 महीने की देरी हुई, इसलिए समझौते के अनुसार अंतिम भुगतान करते समय , 1.76 करोड़ रुपये निर्णीत हर्जाना की कटौती की गई। आर्बिट्रेशन आवर्ड पोर्ट के खिलाफ था और इसलिए पोर्ट ने माननीय जिला न्यायालय , एरणाकुलम के समक्ष आवर्ड के खिलाफ अपील की। सुनवाई चालू है। पिछली सुनवाई 03.03.2021 को हुई। 18.05.2021 को अगली सुनवाई होनी है।

जी) सीओपीटी ने दो 45 टन बोलार्ड पुल टॉग के निर्माण और वितरण के लिए मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड, चेन्नई के साथ क अनुबंध किया है। चूंकि टॉगों की डिलीवरी में देरी हो रही थी सीओपीटी ने ठेकेदार से 8.09 करोड़ रुपये की निर्णीत हर्जाना की वसूली किया। उन्होंने सीओपीटी के उपरोक्त निर्णय पर आपत्ति जताई और मामला आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया। ठेकेदार के दावे को खारिज करते हुए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 10.09.2013 को एक आवर्ड पारित किया और सीओपीटी के 8.09 करोड़ रुपये की राशि को बरकरार रखने के दावे को सही ठहराया गया था। इसके बाद मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड ने ब्याज के साथ 8.09 करोड़ रुपये की निर्णीत हर्जाना जारी करने हेतु निर्देश देने एवं आवार्ड को निरस्त करने के अनुरोध के साथ माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के समक्ष 21.12.2013 को अपील दायर किया। सीओपीटी ने मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के बयान पर आपत्तियां दर्ज कीं। न्यायालय की कार्यवाही जारी है। पिछली सुनवाई 14.08.2020 को हुई। हालांकि पोर्ट के विधि सलाहकार ने सूचित किया कि नई वाणिज्यिक न्यायालय अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त मामला प्रधान उप-न्यायालय एरणाकुलम को स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधान उप-न्यायालय में आगे की कार्यवाही शुरू होनी बाकी है।

एच) पोर्ट ने मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई टॉगों में पाई गई कमिओं को ठीक करने के लिए पोर्ट द्वारा खर्च किए गए राशि को 15 % ब्याज दर के साथ 1.05 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोच्ची के माननीय उप न्यायालय के समक्ष मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के विरूद्ध 28.03.2014 को एक सिविल मामला दायर किया है। उन्होंने माननीय उप न्यायालय के

समक्ष अनुबंध दिनांक 05.10.2006 के खंड 45.0 के संदर्भ में यथा निर्धारित मामले को आर्बिट्रेशन के लिए प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने के अनुरोध के साथ 06.02.2015 को एक हलफ़नामा दायर किया है। न्यायालय ने मामले को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने का निर्देश दिया था और दोनों पक्षों ने आर्बिट्रेटर नियुक्त किए हैं। हालांकि, मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नामित आर्बिट्रेटर ने मेसर्स टेबमा शिपयार्ड को सूचित किया कि वह उपरोक्त विवाद में आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। इस बीच मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने टेबमा शिपयार्ड को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में ले लिया है। इस मुद्दे को मेसर्स सीएसएल के साथ उठाने के लिए मामले की जांच की जा रही है।

आई) विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ 75 दिनों (लगभग 1.58 करोड़ रुपये) से अधिक संग्रहित अतिरिक्त जमीन के किराए के प्रतिदाय संबंधी केरल के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास मामले लंबित हैं।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 की सिविल अपील संख्या 2525 पर दिनांक 05.08.2020 के अपने निर्णय में अपेक्षित निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह के मध्य स्टीमर एजेंटों की देयता की पुन: गणना और और शेष राशि संबंधित पक्षों को वापस करने के लिए अपीलकर्ता (कोचीन पोर्ट ट्रस्ट) को आदेश दिया है।

तदनुसार, फाइल विभिन्न पक्षों को प्रतिदेय राशि की गणना के लिए प्रक्रिया में है। वर्ष 1999 के दौरान एकत्र की गई राशि के अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण फाइल के प्रसंस्करण में विलम्ब हुआ है।

जे) सीओपीटी ने उप न्यायालय, कोच्ची में पुत्तुवाईपीन में एसईजेड क्षेत्र को सीधी सड़क संयोजकता प्रदान परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में निष्पादकों/दावेदारों द्वारा निष्पादित निष्पादन याचिका में सशर्त स्थगन आदेश के लिए डिक्री ऋण का 50%यानि 1.07 करोड़ रुपये अग्रीम जमा किया है। शेष राशि का प्रेषण अंतिम निर्णय के अधीन है। पुत्तुवाईपीन एसईजेड के सह-डेवलपरों यानि पीएलएल, बीपीसीएल-केआर और आईओसीएल से सीओपीटी द्वारा अग्रीम जमा 50% राशि में उनके हिस्से की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया गया था एवं सभी तीन सह-डेवलपरों ने अपने हिस्से की 26.97 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

के) मेसर्स लॉट्स शिपिंग लि. ने निविदा में अनुमानित मात्रा , चार्टर लागत/प्रतिदिन, कर्मचारियों के अनुरक्षण की लागत , करों और प्रभारों का भुगतान , लगातार मरम्मत की लागत और लाभ की हानि की तुलना में कम औसत दैनिक मात्रा के नुकसान के लिए 14.346 करोड़ रुपये का दावा करते हुए विल्लिंगडन आईलैण्ड एवं बोलघाटी के बीच रो-रो/लो-लो बार्ज सेवा के परिचालन के संबंध में सीओपीटी के विरूद्ध आर्बिट्रेशन शुरू किया है। अनुबंध शर्तों के अनुसार मैसर्स लॉट्स शिपिंग लिमिटेड की ओर से डिफ़ॉल्ट/देय राशि के आधार पर सीओपीटी ने व्यापार हानि, टर्मिनल उपयोग शुल्क का भुगतान न करने, पार्किंग शुल्क, क्षतिपूर्ति आदि के लिए 15.905 करोड़ रुपये का जबावी दावा उठाया है। दि.26.09.2019 को पारित आर्बिट्रेशन आवार्ड के अनुसार मेसर्स लॉट्स शिपिंग (दावेदार)को आवर्ड की तिथि से प्राप्ति तक सीओपीटी (प्रतिवादी) से 9% ब्याज के साथ

57,99,411/- रुपये वसूल करने का आवर्ड प्राप्त हुआ है। सीओपीटी द्वारा लगाए गए सभी जवाबी दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। सीओपीटी ने जिला न्यायालय, एरणाकुलम में आर्बिट्रेशन व सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया जो लंबित है।

एल) कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने 3 महीने की समापन अवधि के साथ 02.07.2012 को कुल अनुबंध मूल्य रु.16,77,000/- के साथ मेसर्स अंब्लीगोला एक्सपोर्टर्स, बेंगलूरू को कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह में 3, 20 मीटर हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग" के लिए कार्यादेश जारी किया था। लेकिन ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने में पांच महीने की देरी हुई। फर्म द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल से रु.5 ,02,278/- राशि की कटौती की गई, जिसमें एलडी के लिए केबल खाइयों के प्रभार को बहाल करना और क्रमशः जेसीबी का उपयोग करके नींव के गड्ढे को भरना आदि के लिए क्रमशः तीन राशियां 1 ,59,825/-, 3,40,578/- और 1875/- रुपए शामिल हैं। मेसर्स अंब्लीगोला एक्सपोर्टर्स ने कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ माननीय मुंसिफ कोर्ट , कोच्चि के समक्ष मामला दायर किया। कोर्ट का फैसला प्लांटिफ मेसर्स अंब्लीगोला एक्सपोर्टर्स के पक्ष में गया, जिसमें सीओपीटी को मेसर्स अंब्लीगोला एक्सपोर्टर्स को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 5,16,708/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। माननीय मुंसिफ कोर्ट द्वारा 15.03.2019 को पारित निर्णय के खिलाफ माननीय जिला न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई है। पिछली सुनवाई 21.01.2021 को आयोजित की गई थी। निचली अदालत के रिकॉर्ड जमा करने के लिए मामला को 02.06.2021 को पोस्ट किया गया।

एम) विल्लिंगडन आईलैण्ड के विभिन्न स्थानों पर हॉल्ट क्षेत्र में यूजी टैंकों से 200 मिमी डक्टाइल आयरन पंपिंग लाइन उपलब्ध कराने और सड़क सुधार के कार्य 1.91 करोड़ रुपये के कार्यादेश मूल्य के साथ 12.05.2015 को मेसर्स ईस्ट इंडिया इंजीनियर्स को सौंपा गया था। ठेकेदार ने रेलवे प्राधिकारियों से लंबित अनुमोदन के कारण 3 रेलवे क्रासिंग को छोड़कर पाइप बिछाने का कार्य पूरा किया लेकिन सड़क सुधार कार्य पूरा नहीं किया गया। ठेकेदार ने प्रतिधारण राशि जारी करने और सड़क सुधार कार्य आदि को क्रियान्वित करने के लिए संशोधित दरों से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए और इस कार्य के लिए एकमात्र आर्बीट्रेटर नियुक्त किया। एकमात्र आर्बीट्रेटर द्वारा जारी अंतिम आदेश के अनुसार , ठेकेदार 74.59 लाख रुपये के दावा के पात्र है और पोर्ट 18.48 लाख रुपये के दावों के लिए पात्र है। पोर्ट ने माननीय जिला न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी है। मामला माननीय वाणिज्यिक सिद्धांत उप न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए 20.03.2021 को पोस्ट किया गया था। उस दिन मामले को सुनवाई के लिए 21.05.2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

एन) "वर्ष 2017-18 के लिए कोचिन पोर्ट में चैनलों और बेसिनों के अनुरक्षण के लिए ड्रेजिंग" कार्य 88.511 करोड़ रुपये की लागत पर मेसर्स डीसीआईएल को सौंपा गया। अनुबंध में दो भाग शामिल हैं, जैसे कि (i) भाग-ए-एकमुश्त आधार- 75.041 करोड़ रुपये एवं (ii) भाग-बी-आवश्यकता/मात्रा आधार-13.47 करोड़ रुपये। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को अनुबंध अवधि के दौरान

अनुबंध के एकमुश्त भाग के तहत आने वाले पूरी चैनल में (-) 15.90 मीटर की गहराई बनाए रखना है।

डीसीआई द्वारा यह बताया गया कि पूर्व ड्रेज सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 8 मिलियन क्यूबीक मीटर की बैक लॉग मात्रा थी जिसे (-) 15.90m की गहराई प्राप्त करने के लिए हटाया जाना है और काम शुरू करने की तिथि से पूर्ण गहराई बनाने के लिए दी गई समय अवधि 2 माह है। डीसीआई ने उन्हें बिना किसी जुर्माना के अनुबंध को पूरा करने तक उन्हें सौंपे गए चैनल और बेसिन बनाए रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। चूँकी कि डीसीआई के दावे समझौते की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं , सीओपीटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।

न्यासीमण्डल ने 2 माह की स्वीकार्य अवधि के बाद अनुबंध के एकमुश्त हिस्से के तहत आने वाले चैनलों में गहराई से भारी कमी को देखते हुए संकल्प संख्या 127 (कार्यसूची मद सं.बी4) में निम्नलिखित को अनुमोदन करने का संकल्प लिया, (ए) कार्यसूची मद संख्या बी 4 में एएमआरसीडी के माध्यम से विवादों को निपटाने के मद्देनजर 19-02-2018 के पूर्व किए गए सर्वेक्षण के आधार पर मे सर्स डीसीआई के साथ चल रहे अनुबंध को जारी रखना एवं (बी) जब तक विवादों को एएमआरसीडी के माध्यम से हल नहीं किया जाता है निष्पादित कार्य के लिए मई 2018 से डीसीआई के मासिक बिलों के खिलाफ भुगतान जारी करना , जैसे कि: (i) भाग ए एकमुश्त आधार के तहत सकल बिल राशि के लिए 75%की दर से;(ii) भाग बी-आवश्यकता/मात्रा आधार के तहत किए गए कार्य के लिए पूर्ण भुगतान; (iii) गहराई और चौड़ाई में कमी के कारण गैर प्रदर्शन के लिए वसूली को छोड़कर, अनुबंध के निष्पादन के लिए डीसीआई द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए शुल्क वसूल करना और समझौते की शर्तों के अनुसार अन्य वसूलियाँ , एवं (iv) ड्रेजिंग समिति द्वारा यथा अनुशंसित ऊपर दिए गए भुगतान के आधार पर ईंधन मूल्य भिन्नता भुगतान को प्रभावित करने । तदनुसार, मई 2018 की अवधि के लिए डीसीआई द्वारा उठाए गए बिलों का भुगतान किया गया। बोर्ड संकल्प संख्या 197 दि. 20.02.2020 के अनुमोदन के साथ 11.10.2019 को आयोजित अपनी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सीओपीटी के पत्र दि.06.03.2020 में मूल्य कार्य के संबंध में विवादों के निपटान हेतु आईआईटी, मद्रास के महासागर अभियंत्रण विभाग के प्रोफेसर आर. सुंदरवडिवेलु को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी इस संबंध में बैठक होना बाकी है। सुलहकर्ता द्वारा जारी किए गए आवार्ड दिनांक 20.06.2020 के अनुसार यह सिफ़ारिश की गई थी कि रोकी गई बिल राशि के 25% में से , सीओपीटी 10% राशि के साथ-साथ सुरक्षा जमा भी रख सकता है और बिल राशि का 15% डीसीआई को जारी कर सकता है। तदनुसार [संकल्प सं.50 (एजेंडा मद संख्या बी2) दिनांक 28.08.2020] में बोर्ड का विधिवत अनुमोदन लेते हुए सुलहकर्ता के आदेश के अनुसार डीसीआई का वचन प्राप्त करना कि 11.95 करोड़ रुपये और जीएसटी (कुल राशि 14.09 करोड़ रुपये) जारी करना विषय अनुबंध के लिए पूर्ण और अंतिम समझौता है , और डीसीआई किसी भी फोरम में

विषय अनुबंध पर आगे कोई दावा नहीं करेगा, भाग ए बिल राशि की 15% राशि [मार्च और अप्रैल 2018 को छोड़कर] जीएसटी के साथ रु. 14.09 करोड़ रुपये डीसीआईएल को जारी किया गया था।

ओ) आईओसीएल के जमा कार्य के लिए अनुबंध , "अनुबंध के आधार पर अभियंत्रण, खरीद एवं निर्माणपर पुत्तुवाईपीन, कोच्चिन पोर्ट में बहु-प्रयोक्ता द्रव्य टर्मिनल "भाग:ए- समझौता संख्या 16, वर्ष 2015-16 एवं समझौता संख्या 16, वर्ष 2015-16 के अनुपूरक समझौता के अधीन एमयूएलटी जेट्टी के अंतर्गत कार्य का अवसर मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. को सौंपा गया था, जो विनिर्दिष्ट विस्तारित अनुबंध अवधि के भीतर काम पूरा नहीं कर सका। लिहाजा, निर्णीत हर्जाना वसूल किया गया। उन्होंने वसूल किए गए निर्णीत हर्जाना का प्रतिदेय, उपकरण के किराया शुल्क, श्रम के लिए अतिरिक्त शुल्क , बैंक गारंटी, मूल्य वृद्धि, विस्तारित अवधि के दौरान व्यापार की हानि, बोनस, विविधताओं के लिए अतिरिक्त भुगतान आदि के लिए रु.84,76 दावा करते हुए 27.04.20219 को आर्बिट्रेशन शुरू किया। सीओपीटी और आईओसीएल द्वारा दायर किए गए प्रतिदावे क्रमश: 31.06 करोड़ रुपये और 43.98 करोड़ रुपये हैं। आर्बीट्रेटर की कार्यवाही जारी है।

पी) "अनुबंध के आधार पर अभियंत्रण, खरीद एवं निर्माणपर पुत्तुवाईपीन, कोच्चिन पोर्ट मेंमें बहु-प्रयोक्ता द्रव्य टर्मिनल" का निर्माण कार्य-भाग बी : बार्ज जेट्टी (2015-16 का समझौता संख्या 17 और 2015-16 का समझौता संख्या 17 के लिए अनुपूरक समझौता) के अंतर्गत कार्य मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था , जो विनिर्दिष्ट विस्तारित अनुबंध अवधि के भीतर काम पूरा नहीं कर सका। लिहाजा , निर्णीत हर्जाना वसूल किया गया। उन्होंने वसूल किए गए निर्णीत हर्जाना का प्रतिदेय , उपकरण के किराया शुल्क, श्रम के लिए अतिरिक्त शुल्क , बैंक गारंटी, मूल्य वृद्धि, विस्तारित अवधि के दौरान व्यापार की हानि , बोनस, विविधताओं के लिए अतिरिक्त भुगतान आदि के लिए 17.26 करोड़ रुपये का दावा करते हुए आर्बिट्रेशन शुरू किया। 12.57 करोड़ रुपये के लिए सीओपीटी द्वारा दायर किए गए जवाबी दावों की आर्बीट्रेशन कार्यवाही प्रगति पर है।

क्यू) मेसर्स जीपीटी जीओ(जेवी) ने "वल्लारपाडम में जीआईडीए ब्रीज संख्या 2 के सुधार समेत फ्लाईओवर व आरओबी के निर्माण " कार्य पूरा होने में देरी के कारण उनके विभिन्न शुल्कों के मुआवजे के लिए 11.74 करोड़ रुपये दावा करते हुए 3.10.2018 को आर्बिट्रेशन शुरू किया। उपरोक्त दावों को मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 02.11.2018 को खारिज कर दिया गया और ठेकेदारों की अपील दिनांक 16.11.2018 को भी अध्यक्ष द्वारा 15.12.2018 को खारिज कर दिया गया। ठेकेदारों ने दिनांक 01.01.2019 के पत्र द्वारा जीसीसी के खंड 25 को लागू करते हुए

उनके द्वारा प्रस्तुत 3 आर्बीट्रिटरों की सूची में से एकमात्र आर्बीट्रिटर नियुक्त करने का अनुरोध किया। इसे सीओपीटी द्वारा 22.01.2019 को पोर्ट के विधि परामर्शदाता मेसर्स मेनोन एंड पाई की राय के आधार पर खारिज कर दिया गया था। ठेकेदारों ने 11.04.2019 को केरल के माननीय उच्च न्यायालय में आर्बीट्रेशन अनुरोध दायर किया। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 03.09.20219 के द्वारा श्री. पी. भवदासन (केरल के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) आर्बीट्रिटर के रूप में नियुक्त किया। ठेकेदारों ने आर्बीट्रेशन ट्रीब्यूनल के समक्ष 11.56 करोड़ रुपये की मांग की थी।

दि.20.02.2020 को आयोजित सीओपीटी बोर्ड ने मेसर्स जीपीटी जियो जेवी और सीओपीटी के बीच विवादों का संदर्भ एकमात्र आर्बीट्रिटर श्री पी भवदासन को दिया और और मूल कार्य के लिए सीओपीटी के पास उपलब्ध परियोजनाओं की शेष निधि से आर्बीट्रेशन व्यय को पूरा करने का अनुमोदन किया और मुख्य अभियंता को आर्बीट्रेशन कार्यवाही के संबंध में आवश्यक सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया।

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की पहली बैठक 18/02/2020 को हुई और मील के पत्थर की तारीखों को अंतिम रूप दिया गया। सीओपीटी ने 11.09.2020 को 11.05 करोड़ रुपये के लिए जवाबी विवरण और जवाबी दावा दायर कि या। आर्बीट्रेशन ट्रीब्यूनल की आगे की बैठकें 18.03.2020 , 22.06.2020, 26.06.2020, 26.06.2020, 14.08.2020, 14.10.2020, 16.11.2020, 17.12.2020, 14.01.2021, 15.03.2021, 20.03.2021 और 29.03.2021 को आयोजित की गई जिसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा 15.03.2021 और 29.03.2021 को दावेदार के हिस्से की मौखिक सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 4 मई 2021 से निर्धारित है।

28. **सेवानिवृत्ति लाभः**

ए) 31.03.2021 के आंकड़ों के आधार पर एलआईसी द्वारा की गई देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 3453.55 करोड़ रुपये है। पेंशनभोगियों और मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन की देयता क्रमशः 2355.74 करोड़ रुपये और 977.20 करोड़ रुपये है , जो कुल मिलाकर 3332.94 करोड़ रुपये है और मौजूदा कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी देयता लगभग 120.61 करोड़ रुपये है। इसके लिए, कोचिन पोर्ट में 31.03.2021 को क्रमशः 472.38 करोड़ रुपये और पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में 8.18 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है , जो वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज को छोड़कर है, क्योंकि एलआईसी द्वारा 20 20-21 के लिए ब्याज दरों को घोषित किया जाना बाकी है।

बी) पेंशन फंड ट्रस्ट को 348.99 करोड़ रुपये के योगदान में वर्ष के लिए 221.25 करोड़ रुपये का पेंशन संवितरण शामिल है।

सी) दि. 22.08.2015 को आयोजित कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की बोर्ड बैठक के दौरान पेंशन फंड की खराब स्थिति को देखते हुए पेंशन फंड ट्रस्ट को पूर्ण रूप से भूमि की लीज पर प्राप्त प्रीमियम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। 2020-21 के दौरान एलआईसी के साथ किए गए

131.75 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश में भूमि के पट्टे पर प्रीमियम के रूप में प्राप्त 4.98 करोड़ रुपये शामिल हैं।

29. **अन्य प्रकटीकरण:**

i) **रो-रो परिचालन के लिए आईडब्ल्यूएआई के साथ संयुक्त उद्यम**

रो-रो टर्मिनल 25.02.2011 को परिचालन में आया। आईडब्ल्यूएआई एवं सीओपीटी के बीच 08.10.2009 को बीई समझौता ज्ञापन के अनुसार बोलगाट्टी एवं विल्लिंगडन आईलैण्ड में रो-रो टर्मिनल के प्रबंधन व परिचालन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त प्रबंधन समिति (जेएमसी) का गठन कर दोनों पक्ष यानि पोर्ट एवं आईडब्ल्यूएआई द्वारा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार , पोर्ट ठेकेदार से टर्मिनल शुल्क के संग्रह की व्यवस्था करेगा और टर्मिनलों के उपयोग से संबंधित सभी लेनदेन का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करेगा। प्रशासनिक व्यय राजस्व से अर्जित किया जाएगा एवं सृजित शुद्ध अधिशेष के अनुपात 70% आईडब्ल्यूएआई और 30% सीओपीटी में साझा किया जाएगा। ठेकेदार से टर्मिनल उपयोग शुल्क के रूप में प्राप्त राशि का भुगतान करने हेतु जेएमसी के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला गया।

निविदा शर्तों के अनुपालन में विफलता के कारण पोर्ट ने पार्टी मेसर्स लॉट्स शिपिंग को जून 2017 से परिचालन को रोकने का निर्देश दिया और बाद में पार्टी ने पोर्ट के खिलाफ आर्बिट्रेशन शुरू किया।

31.03.2018 को जेएमसी के लेखा परीक्षित खातों में 35.17 लाख रुपये के संचित लाभ दर्शाये गए हैं। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के लिए लाभकारी शेयर का 30% यानि 10.55 लाख रुपये को वर्ष 2017-18 के दौरान सीओपीटी की लेखा में "विविध प्राप्तियां" के तहत आय के रूप में दर्शाया गया है। लाभ का 70% हिस्सा यानि 24.62 लाख रुपये मेसर्स आईडब्ल्यूएआई को देय है, जिसे सीओपीटी के खाते में मेसर्स आईडब्ल्यूएआई को देय के रूप में दर्शाया गया है एवं मेसर्स लॉट्स शिपिंग लिमिटेड के साथ विवाद के निपटारे के बाद इसका निपटारा किया जाएगा।

ii) **1996 पूर्व पट्टाधारियों से बकाया देय**

1996 पूर्व पट्टाधारियों के संबंध में, पोर्ट ने वर्ष 2014 में टाम्प अधिसूचित दर 2010 पर आधारित संशोधित लीज भाड़ा लगाया है। हालांकि, कोचिन पोर्ट लीज होल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से केरल के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए और मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 25.02.2015 को अंतरिम आदेश जारी किया गया। इस बीच, संपदा भाड़ा को एक बार फिर से टाम्प अधिसूचना संख्या 304 दिनांक 22.07.2016 में संशोधित किया गया और यह 21.08.2016 से प्रभावी हुआ। पोर्ट द्वारा प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, टाम्प अधिसूचित दर पर बिलों को 21.08.2016 से 1996 पूर्व पट्टाधारियों सहित सभी पट्टों के संबंध में उठाया गया था। हालांकि कोचिन पोर्ट लीजहोल्डर्स एसोसिएशन डब्ल्यूपी(सी) सं.12138/2017 (एन) के साथ 2 अन्य याचिकाकर्ता ओं (1996 पूर्व पट्टाधारी)

ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। दिनांक 06.04.2017 के आदेशानुसार वर्द्धित राशि की वसूली के लिए अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने दि.04.09.2019 के निर्णय के अनुसार सीओपीटी के पक्ष में डब्ल्यूपी सं.5974/2015 एण्ड 29/2015 को खारिज़ कर दिया। तदनुसार सीओपीटी ने फ़रवरी 2020 को टाम्प 2010 यानि 01.10.2014 से 20.08.2016 तक लीज भाड़ा में अंतर राशि के लिए बकाया बिलों की मांग की। 31.03.2021 तक मुकदमेबाजी के तहत कुल बकाया 4.79 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3.19 करोड़ रुपये उपरोक्त निर्णय से संबंधित है।

iii) **जेट्टियों पर लाइसेंस शुल्क**

पोर्ट, सीओपीटी(जेट्टियों, स्लीपवेज एण्ड बोट पेंस के लाइसेंसिंग) विनियम, 1968 एवं 1996 में इसके संशोधनों के आधार पर जेट्टियों एण्ड पायरों से लाइसेंस शुल्क संग्रह करता है। शुरू में लाइसेंस शुल्क 1,297 रुपये प्रति जेट्टी प्रति वर्ष था जिसे बाद में उन लोगों, जो दूसरों से संबंधित वलोम/नौकाओं को बांधने के लिए अपने जेट्टी को किराए पर देते हैं , के लिए 1,00,000 रुपये प्रति जेट्टी प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया था । महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 123(एन) के तहत यथा अपेक्षित संशोधनों को 13.05.2014 में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया एवं उसे 16.06.2014 को जेट्टी मालिकों को संचारित किया गया। जेट्टी मालिकों ने माननीय उच्च न्यायालय केरल में रिट याचिका दायर की और अंतरिम आदेश पारित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता मांगी गई राशि का एक/चौथाई भुगतान करते हैं, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। उपयोग में आ रहे 287 जेट्टियों में से केवल 65 मालिकों ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है। शेष राशि मुकदमे के कारण लंबित है। इसके बाद पोर्ट ने दरों में कमी की और जेट्टी के विवरण के आधार पर रु.2000/- से रु.100000/- के बीच एक स्लैब दर पेश किया। इन्हें केरल राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और केंद्रीय राजपत्र में प्रकाशन की प्रतीक्षा की जा रही है। इन दरों को वर्ष 2016 में टाम्प द्वारा पोर्ट के एसओआर में सामान्य संशोधन में बताया गया है जो 21.08.2016 को लागू हुआ है।

iv) **एनटीबी और एसटीबी के बिजली बिल**

नर्थ एवं साउथ टैंकर बर्थों में पोर्ट के एचटी बिजली संयोजन को एचटीआईआई (गैर औद्योगिक - गैर वाणिज्यिक) टैरिफ के तहत बिल किया गया। टैरिफ में संशोधन के परिणामस्वरूप केएसईबी ने 15.05.1999 से एचटी II से एचटी IV (वाणिज्यिक) टैरिफ का पुनर्वर्गीकरण किया और केएसईबी ने मई 1999- जुलाई 2010 की अवधि के लिए संशोधित बिल जारी किया और बकाया राशि की मांग की। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने बकाया की मांग के खिलाफ केएसईबीएल के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के समक्ष एक याचिका दायर की और एचटी-II के रूप में टैरिफ को बनाए रखने का अनुरोध किया। हालांकि सीजीआरएफ ने केएसईबीएल के फैसले को सही ठहराया। इस पर असंतुष्ट सीओपीटी ने

माननीय विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील की एवं लोकपाल ने आखिरकार आदेश दिया कि एनटीबी और एसटीबी पर सीओपीटी के टैरिफ को केवल एचटी- II के तहत बरकरार रखा जाए। केएसईबी ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोकपाल के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। केरल के माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त होना बाकी है। पोर्ट वर्तमान में एचटी-II टैरिफ के तहत बिल का भुगतान कर रहा है।

31.03.2021 तक विवादों के लिए अंतर राशि 1.17 करोड़ रुपये है।

v) संपदा भाड़ा के मामले में, उन मामलों में बिलिंग नहीं की गई है, जिनके लिए पोर्ट ने फिर से शुरू करने का नोटिस दिया है और बेदखली की प्रक्रिया चल रही है।

vi) **ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप:**

पोर्ट ने विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) 2015-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 तक एसईआईएस शेयरों के लिए आवेदन दायर किया है और 2019-20 तक स्क्रिप की बिक्री से आय को मान्यता दी है। हालांकि एफ़टीपी को 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया है, भारत सरकार द्वारा लगाए गए कोविड 19 महामारी और बजटीय प्रतिबंधों के कारण, एसईआईएस योजना के लाभों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए विण्डो अभी तक नहीं खोली गई है, जिसके कारण पोर्ट वर्ष 2019-20 के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन नहीं कर सका। अनिश्चितता के कारण, पोर्ट ने 2019-20 के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए एसईआईएस आय को मान्यता नहीं दी है।

इसी तरह, मेसर्स आईजीटीपीएल ने भी वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः 6.77 करोड़, 5.74 करोड़ और 5.57 करोड़ रुपये स्क्रिप प्राप्त किया है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और राजस्व लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों के आधार पर कि आईजीटीपीएल ने एसईआईएस स्क्रिप्स की बिक्री पर राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान नहीं किया है, पोर्ट ने हमारे कानूनी सलाहकारों और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय मांगी और आईजीटीपीएल पर अपनी मांग उठाया। हालांकि, आईजीटीपीएल ने पोर्ट को बताया कि एसईआईएस स्क्रिप पर रॉयल्टी देय नहीं है।

लाइसेंस समझौते की धारा 15.1 के अनुसार इस मुद्दे और विचारों के अंतर की आपसी हल के लिए 02.09.2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी। हालाँकि, यह व्यर्थ था। इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए लाइसेंस समझौते की धारा 15.2 को लागू करने के लिए पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया। तदनुसार, माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. सिरी जगन को सीओपीटी और आईजीटीपीएल द्वारा कानूनी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। बाहरी विशेषज्ञ न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एस. सिरी जगन ने एक विस्तृत राय प्रस्तुत की और निष्कर्ष निकाला कि "आईजीटीपीएल द्वारा एसईआईएस ड्यूटी

क्रेडिट स्क्रिप के तीसरे पक्ष को हस्तांतरण से उत्पन्न राजस्व" सकल राजस्व "का गठन करेगा , जैसा कि लाइसेंस समझौते में परिभाषित किया गया है। और पार्टियों के बीच लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार , आईजीटीपीएल अनुबंधित रूप से उसी का 33.3% हिस्सा सीपीटी के साथ साझा करने के लिए बाध्य है।" हालांकि, आईजीटीपीएल ने सूचित किया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस सिरी जगन द्वारा प्रस्तुत राय उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

चूंकि अनुच्छेद 15.1 'सौहार्दपूर्ण समाधान' और अनुच्छेद 15.2 'विशेषज्ञ की सहायता ' पर आईजीटीपीएल के साथ लाइसेंस समझौते में विवाद समाधान पर कार्रवाई की गई है और कोई परिणाम नहीं निकला है, पोर्ट लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.3 के अनुसार आर्बीट्रेशन क्लज को लागू करने की प्रक्रिया में है।

30. कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह की लेखा का एक अलग सेट लेखा में दर्शाने के लिए संलग्न है।

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगड़न आईलन्ड, कोचिन- 682 009

2020-21

के वार्षिक लेखे

पर

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने महापत्तन न्यास अधिनिय, 1963 की धारा 102 के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम ,1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च ,**2021**को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के लाभ व हानि खाता एवं संलग्न तुलनपत्र का लेखा परीक्षण किया। ये वित्तीय विवरण पोर्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सर्वोत्तम लेखांकन प्रणाली, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों , आदि की पुष्टि के साथ वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखांकन के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल है। विधि, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा अवलोकन यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों को वित्तीय विवरण गलत बयान से मुक्त है, इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु हमारी योजना व लेखा परीक्षा की आवश्यकता है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समर्थित साक्ष्य शामिल होते हैं। एक लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

i. हमने लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अवुरूप आईजीटीपीएल के साथ रियायत समझौते के अनुसार कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कुल राजस्व एवं उसी राजस्व के अनुरूप हिस्से को प्रमाणित करने हेतु इंडिया गेटवे टर्मिनल (पी) लिमिटेड (आईजीटीपीएल) के मूल रिकॉर्ड के अलावा सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए । महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के तहत सीएजी द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार की गई इस रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र एवं लाभ व हानि लेखा तैयार किए गए हैं;

ii. हमारी राय में , कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102 के तहत आवश्यक खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों उचित रूप से बनाए रखा गया है , जो हमारे परीक्षण में प्रकट हुआ है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए.तुलनपत्र	
ए.I. धन का उपयोग	
ए.I.1	**वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूचीVIII): रु.799.46 करोड़** बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान के कारण देयता 3,453,55 करोड़ रुपये है। हालांकि, एलआईसी में किया गया योगदान और 31 मार्च, 2021 को योगदान के लिए अर्जित ब्याज केवल 480.56 करोड़ रुपये था। इस प्रकार अंशदान में 2,972.99 करोड़ रुपए की कमी आई है। पोर्ट ट्रस्ट ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है और परिणामी लाभ को 2,972.99करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।
बी.	**लाभ और हानि लेखा**
बी.I.	**व्यय**
बी.I.1.	**वित्त और विविध व्यय(अनुसूची- एम): रु.376.35 करोड़** (i) सीओपीटी ने मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी (पी) लिमिटेड के साथ एक अन्य मुकदमे में उनसे देय राशि से अनुरक्षण ड्रेजिंग शुल्क के कारण उन्हें देय 57,05.733 रुपये का समायोजन करके आर्बीट्रिशन का निपटारा करने का फैसला किया। हालाँकि , सीओपीटी ने दिनांक 24.03.2021 को निपटान की सूचना देते हुए एक नोटिस भेजा , पार्टी से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और समायोजन की प्रक्रिया अभी भी लंबित है।चूंकि 31.03.2021 से पहले आर्बीट्रिशन आवर्ड के कारण देयता क्रिस्टलीकृत हो गई थी, इसके लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस राशि का प्रावधान न होने के कारण वित्त एवं विविध व्यय और वर्तमान देनदारियों में प्रावधानों को कम करके आंका गया है और चालू वर्ष के लाभ को 1,57,05.733 रुपये से अधिक बताया गया है। (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 05.08.2020 कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को स्टीमर एजेंटों से ली गई अतिरिक्त जमीन किरा या और 55 कंटेनरों के हस्तन के लिए 7 पार्टियों को 1,29,41.413 (अनंतिम) राशि वापस करने का आदेश दिया है। इस राशि का प्रावधान न होने के कारण, वित्त और विविध व्यय और वर्तमान देनदारियों में प्रावधानों को कम करके आंका गया है और चालू वर्ष के लाभ को 1,29,41.413 रुपये से अधिक बताया गया है।
सी.	**सामान्य**
सी.I.	जैसा कि लेखा मानक (एएस) 15 में अपेक्षित है, कर्मचारियों के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए, पोर्ट ने न तो बीमांकिक मूल्यांकन किया है और न ही वर्ष 2020-21 के लिए खातों में अपने कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की देयता के लिए प्रावधान किया है।
डी.	**अनुदान सहायता** 01 अप्रैल 2020 को अनुदान राशि आदि शेष 16.86 करोड़ रुपये थी। 2020-21 के दौरान पोर्ट द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान 14.69 करोड़ रुपये था, जिसमें से मार्च 2021 के दौरान 3.08 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान 12.25 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई, जिसमें से 0.72 करोड़ रुपये पोर्ट के अपने कोष से खर्च किए गए। 31 मार्च 2021 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में 20.02 करोड़ रुपये की राशि शेष है।

V. पिछले पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा खातों के अनुरूप हैं।

Vi. हमारी राय, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार , लेखांकन नीतियों और खातों पर नोट के साथ पढ़े गए उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध-I** में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि में एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं।

ए. जहां तक यह 31 मार्च 2021 तक कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है और

बी. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते से संबंधित है।

5. पिछले तीन वर्षों के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के सारांशित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाले खातों की समीक्षा **अनुबंध-II** में दी गई है।

ह/-

(देविका नायर)
महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, चेन्नई

अनुबंध-I

आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण:

1) आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता:

पोर्ट की आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट को सौंपी गई थी। वर्ष 20 **20-21** के लिए आंतरिक ऑडिट पूरा हो गया है। हालांकि वर्ष 2020-21 के लिए आईजीटीपीएल से राजस्व की विशेष लेखा परीक्षा लंबित है।

2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की पर्याप्तता एवं नियमों व विनियमों के अनुपालन के साथ परिचालन की दक्षता और प्रभावशीलता के संबंध में किसी संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि पर एक उचित आश्वासन प्रदान करती है । 31 मार्च, 2021 तक नकद शेष, मियादी जमा पावती एवं बैंक गारंटी के भौतिक सत्यापन एवं प्रमाणन नहीं किया गया है।

3) अचल संपत्ति के भौतिक सत्यापन

अचल संपत्ति के भौतिक सत्यापन प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं।

4) सामग्रियों के भौतिक सत्यापन प्रणाली

सामग्रियों के सत्यापन प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं।

5) सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता

पोर्ट नियत तिथि पर भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, जीएसटी आदि सांविधिक देय का भुगतान कर रहा है। हालांकि, पोर्ट ने भारत सरकार के ऋण का एक किश्त को चुकाने में विफल हुआ है।

ह/-

निदेशक(सीए)

अनुलग्नक-II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की लेखा की समीक्षा।

नोट : भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कीलेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखा परीक्षा अवलोकन/टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना लेखा की समीक्षा तैयार किया गया है।

1. <u>वित्तीय स्तिथि</u>

निम्न सारणी 31 मार्च, 2019,2020 एवं 2021 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की समाप्ति में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति सारांशित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण		2018-19	2019-20	2020-21
ए.	**देयताएं**			
(i)	पूंजी आरक्षण	84.84	84.84	84.84
(ii)	अन्य आरक्षण	43.21	34.26	37.42
(iii)	उधार - पूंजी ऋण, सरकार से ऋण	232.33	206.51	206.51
	अन्य ऋण	0.30	0.30	0.30
(iv)	मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान	955.25	868.39	971.06
(v)	अन्य देनदारियाँ	64.95	68.35	70.98
	कुल	**1380.88**	**1262.65**	**1371.11**
बी	**संपदाएँ**			
(i)	अचल सम्पदा	688.71	676.60	702.36
(ii)	<u>न्यून:</u> मूल्यह्रास	(302.34)	(306.00)	(324.30)
(iii)	निवल अचल सम्पदा	386.37	370.60	378.05
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	20.54	28.23	3.70
(v)	निवेश	0.15	1.15	1.15
(vi)	मौजूदा सम्पदाएं, ऋण एवं अग्रीम	460.18	370.23	502.97
(vii)	संचित घाटा	513.74	492.44	485.24
	कुल	**1380.88**	**1262.65**	**1371.11**
सी	**कर्यशील पूंजी**[1]	(-)495.17	(-)498.16	(-)468. 09
डी	**निवल मूल्य**[2]	(-)385.69	(-)373.34	(-)362.98
ई	**पूंजी नियोजित**[3]	(-)108.80	(-)127.56	(-)90. 04
एफ	**नियोजित पूंजी पर रिटर्न**[4] **(में %)**	(+)17.63	(+)16.70	(+)8.00
1	कार्यशील पूंजी ऋण पर अर्जित ब्याज सहित मौजूदा संपदा, मौजूदा कम देनदारियाँ को दर्शाती है।			
2	निवल मूल्य पूंजी आरक्षण और अन्य आरक्षण व अधिशेष कम संचित घाटे को दर्शाता है।			
3	नियोजित पूंजी निवल अचल संपदाओं और कार्यशील पूंजी को दर्शाता है।			
4	नियोजित पूंजी पर रिटर्न, नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध अधिशेष/घाटे (विनियोजन से पहले) की प्रतिशतता को दर्शाती है।			

2. कार्यशील परिणाम:

31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के कार्यशील परिणाम

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
ए	**राजस्व**			
(i)	परिचालन आय	585.51	649.03	683.32
(ii)	गैर-परिचालन आय	46.61	43.20	43.66
	कुल	**632.12**	**692.23**	**726.98**
बी	**व्यय**			
(i)	परिचालन व्यय	374.67	355.88	343.43
(ii)	गैर-परिचालन व्यय	238.27	315.05	376.35
	कुल	**612.94**	**670.93**	**719.78**
सी	विनियोजन से पहले निवल अधिशेष/घाटा	(+)19.18	(+) 21.30	(+)7.20
डी	न्यून: विनियोजन / संयोजन: हस्तान्तरण(निवल)	0	0	0
ई	राजस्व आरक्षण को हस्तान्तरित अधिशेष/घाटा	(+)19.18	(+) 21.30	(+)7.20
एफ	अधिशेष/घाटा के लिए निवल की प्रतिशतता:			
(i)	परिचालन आय	(+)3.28	(+)3.28	(+)1.05
(ii)	निवल अचल संपदाएँ	(+)4.96	(+)5.75	(+)1.90
(iii)	निवल मूल्य	(+)4.97	(+)5.70	(+)1.98

3. अनुपात विश्लेषण

पोर्ट ट्रस्ट के नकदी एवं सम्पन्नता पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं:

- वर्ष 2018-19,2019-20 एवं 2020-21 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए मौजूदा संपत्ति का प्रतिशत क्रमशः 48.16, 42.63 और 51.80 था।
- वर्ष 2018-19,2019-20 एवं 2020-21 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए तत्काल संपदाओं की प्रतिशतता क्रमशः 39.53,33.89 एवं 43.88 था।
- वर्ष 2018-19,2019-20 एवं 2020-21 के दौरान परिचालन आय के लिए विविध देनदारों की प्रतिशतता क्रमशः23.59, 9.57 एवं 7.59 था।
- वर्ष 2018-19,2019-20 एवं 2020-21 के दौरान पूंजीगत भण्डार एवं सामान्य भण्डार के अनुपात के लिए पूंजीगत ऋण क्रमशः 2.28, 2.02 एवं 2.02 था।

ह/-

निदेशक (सीए)

आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगड़न आईलन्ड, कोचिन- 682 009

ली गई

कार्रवाई टिप्पणी

सहित

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2020-21

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखा पर उठाए गए टिप्पणियों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई नोट

ए. तुलन पत्र :

ए.I. पूंजी उपयोग:

ए.I.1. वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूचीVIII): रु.799.46 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान के कारण देयता 3,453,55 करोड़ रुपये है। हालांकि, एलआईसी में किया गया योगदान और 31 मार्च , 2021 को योगदान के लिए अर्जित ब्याज केवल 480.56 करोड़ रुपये था। इस प्रकार अंशदान में 2,972.99 करोड़ रुपए की कमी आई है। पोर्ट ट्रस्ट ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है और परिणामी लाभ को 2,972.99करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

- *पेंशन और ग्रेच्युटी अंशदान के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बड़े प्रावधानों के लिए कोचिन पोर्ट की मौजूदा वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं है, परिणामतः पोर्ट को भारी नुकसान होगा और यह सरकारी अनुदान सहायता/वित्तीय संस्थानों से धन जुटाने हेतु कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को अयोग्य साबित कर सकता है। अतः पेंशन व ग्रेच्युटी निधि के लिए अंशदान में समी हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।*

बी. लाभ और हानि लेखा:

बी.I. व्यय

बी.I.2. वित्त और विविध आय (अनुसूची- एम): रु.376.35 करोड़

(i) सीओपीटी ने मेसर्स जैसू शिपिंग कंपनी (पी) लिमिटेड के साथ एक अन्य मुकदमे में उनसे देय राशि से अनुरक्षण ड्रेजिंग शुल्क के कारण उन्हें देय 1,57,05.733 रुपये का समायोजन करके आर्बीट्रेशन का निपटारा करने का फैसला किया। हालाँकि, सीओपीटी ने दिनांक 24.03.2021 को निपटान की सूचना देते हुए एक नोटिस भेजा , पार्टी से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और समायोजन की प्रक्रिया अभी भी लंबित है।

चूंकि 31.03.2021 से पहले आर्बीट्रेशन आवर्ड के कारण देयता क्रिस्टलीकृत हो गई थी , इसके लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस राशि का प्रावधान न होने के कारण वित्त एवं विविध व्यय और वर्तमान देनदारियों में प्रावधानों को कम करके आंका गया है और चालू वर्ष के लाभ को 1,57,05.733 रुपये से अधिक बताया गया है।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (05.08.2020) कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को स्टीमर एजेंटों से ली गई अतिरिक्त जमीन किराया और 55 कंटेनरों के हस्तन के लिए 7 पार्टियों को रु.1,29,41.413 (अनंतिम) राशि वापस करने का आदेश दिया है। इस राशि का प्रावधान न होने के कारण, वित्त और विविध व्यय और वर्तमान देनदारियों में प्रावधानों को कम करके आंका गया है और चालू वर्ष के लाभ को 1,29,41.413 रुपये से अधिक बताया गया है।

i. *यह निर्णय लिया गया है कि मेसर्स जैसू शिपिंग को ब्याज के साथ देय 87 लाख रुपये की राशि को मेसर्स जैसू शिपिंग से प्राप्त होने वाली ब्याज के साथ 2.98 करोड़ रुपये की राशि से समायोजित किया जाएगा।*

   अत: निवल प्रभाव का लेखांकन अंतिम निपटान के वर्ष में किया जाएगा।

ii. *हम एतद्वारा यह उल्लेख करते हैं कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एकत्र किए गए अतिरिक्त भूमि किराए की वापसी के लिए 2021-22 में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।*

सी. सामान्य :

सी.1 जैसा कि लेखा मानक (एएस) 15 द्वारा अपेक्षित है **, '**नियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन**',** पोर्ट ने न तो बीमांकिक मूल्यांकन किया है और न ही वर्ष 2020-21 के लिए खातों में अपने कर्मचारियों के अर्जित अवकाशों के नकदीकरण की देयता के लिए प्रावधान किया है।

- *पोर्ट ट्रस्ट के वार्षिक लेखा बिलिमोरिया रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर तैयार किए जाते हैं जो न तो अर्जित अवकाश के नकदीकरण के बीमांकिक मूल्यांकन की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है और न ही इसके प्रति देयता प्रदान करता है। इसलिए, पोर्ट, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन लेने की प्रथा का पालन नहीं करता है। साथ ही कोचिन पोर्ट की वित्तीय स्थिति अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के लिए अनुकूल नहीं है।*

डी. अनुदान सहायता

01 अप्रैल 2020 को अनुदान राशि आदि शेष 16.86 करोड़ रुपये थी। 2020-21 के दौरान पोर्ट द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान 14.69 करोड़ रुपये था, जिसमें से मार्च 2021 के दौरान 3.08 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान 12.25 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई, जिसमें से 0.72 करोड़ रुपये पोर्ट के अपने कोष से खर्च किए गए। 31 मार्च 2021 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में 20.02 करोड़ रुपये की राशि शेष है।

- *तथ्यात्मक*

<u>अनुलग्नक I</u>

आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण

1) आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता

पोर्ट की आंतरिक लेखापरीक्षा चाटार्ड लेखाकारों को सौंपी गई थी। वर्ष 2020-21 के लिए सीओपीटी का आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी हो गयी है। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के लिए आईजीटीपीएल से राजस्व का विशेष विशेष लेखापरीक्षा लंबित है।

- *वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी हो चुकी है और हमें अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। आईजीटीपीएल से राजस्व की विशेष लेखापरीक्षा आईजीटीपीएल की सांविधिक लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद शुरू होती है।*

2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किसी संगठन के संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता , नियमों और विनियमों के अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध मेंसंगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि पर एक उचित आश्वासन प्रदान करती है । 31 मार्च 2021 तक नकद शेष , मियादी जमा प्राप्तियों और बैंक गारंटी का भौतिक सत्यापन और प्रमाणीकरण नहीं किया गया है।

- *मासिक आधार पर नकद, मियादी जमा और बैंक गारंटी का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए फरवरी 2021 माह तक सत्यापन किया गया। हालांकि, 31.03.2021 तक (01.04.2021 - मौंडी गुरुवार , 02.04.2021- गुड फ्राइडे , 03.04.2021- शनिवार , कार्यालियों के साप्ताहिक स्वच्छता के लिए वर्क फ्रॉम होम , 04.04.2021-रविवार की छुट्टी , 05.04.2021 से 07.04.2021 - चुनाव ड्यूटी छुट्टियों के कारण सत्यापन नहीं किया जा सका। चूंकि मार्च 2021 के लिए भौतिक सत्यापन में देरी हुई , इसलिए अगला भौतिक सत्यापन अप्रैल 2021 को किया गया था।*

3) अचल संपदाओं का भौतिक सत्यापन

अचल संपत्तियों के सत्यापन की प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।

- *तथ्यात्मक*

4) वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन प्रणाली

वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं।

- *तथ्यात्मक*

5) सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

पोर्ट नियत तिथियों पर भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, जीएसटी, आदि जैसे सांविधिक बकाया का भुगतान कर रहा है। हांलाकि, पोर्ट द्वारा भारत सरकार के ऋण की एक किश्त के पुनर्भुगतान में चूक हुई है।

- *कोविद-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप पोर्ट के यातायात और वित्तीय स्थिति में गिरावट के कारण सीओपीटी ने 26.03.2021 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड की मंजूरी के साथ भारत सरकार के ऋण की किश्तों के पुनर्भुगतान के लिए 3 साल की मोहलत मांगने के लिए मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसलिए, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने भारत सरकार के 55.85 करोड़ रुपये के ऋण की तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया है, जो 2020-21 में देय था। स्थगन का प्रस्ताव मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है।*

<u>अनुलग्नक-II</u>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 2021 मार्च 31 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की लेखा की समीक्षा।

नोट: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कीलेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखा परीक्षा अवलोकनटिप्पणियों/ को ध्यान में रखे बिना लेखा की समीक्षा तैयार किया गया है।

.1 <u>वित्तीय स्तिथि</u>

निम्न सारणी 31, मार्च,2019, 2020 एवं 2021 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की समाप्ति में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति को सारांशित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण		2018-19	2019-20	2020-21	
ए.	**देयताएं**				
(i)	पूंजी आरक्षण	84.84	84.84	84.84	
(ii)	अन्य आरक्षण	43.21	34.26	37.42	
(iii)	उधार- पूंजी ऋण, सरकार से ऋण	232.33	206.51	206.51	
	अन्य ऋण	0.30	0.30	0.30	
(iv)	मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान	955.25	868.39	971.06	
(v)	अन्य देनदारियाँ	64.95	68.35	70.98	
	कुल	**1380.88**	**1262.65**	**1371.11**	
बी	**संपदाएँ**				
(i)	अचल सम्पदा	688.71	676.60	702.36	
(ii)	<u>न्यून:</u> मूल्यह्रास	(302.34)	(306.00)	(324.30)	**तथ्यात्मक**
(iii)	निवल अचल सम्पदा	386.37	370.60	378.05	
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	20.54	28.23	3.70	
(v)	निवेश	0.15	1.15	1.15	
(vi)	मौजूदा संपदाएँ, ऋण एवं अग्रीम	460.08	370.23	502.97	
(vii)	संचित घाटा	513.74	492.44	485.24	
	कुल	**1380.88**	**1262.65**	**1371.11**	
सी	**कर्यशील पूंजी**[1]	(-)495.17	(-)498.16	(-)468. 09	
डी	**निवल मूल्य**[2]	(-)385.69	(-)373.34	(-)362.98	
ई	**पूंजी नियोजित**[3]	(-)108.80	(-)127.55	(-)90. 04	
एफ	**नियोजित पूंजी पर रिटर्न**[4] **(में %)**	(+)17.63	(+)16.70	(+)8.00	
1	कार्यशील पूंजी ऋण पर अर्जित ब्याज सहित मौजूदा संपदा मौजूदा ,कम देनदारियाँ को दर्शाती है।				
2	निवल मूल्य, पूंजी आरक्षण और अन्य आरक्षण व अधिशेष कम संचित घाटे को दर्शाता है।				
3	नियोजित पूंजी, निवल अचल संपदाओं और कार्यशील पूंजी को दर्शाता है।				
4	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध अधिशेष/घाटे (विनियोग से पहले) का प्रतिशत दर्शाता है।				

2. कार्यशील परिणाम:

31मार्च, 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के कार्यशील परिणाम

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	
ए	**राजस्व**				तथ्यात्मक
(i)	परिचालन आय	585.51	649.03	683.32	
(ii)	गैर-परिचालन आय	46.61	43.20	43.66	
	कुल	**632.12**	**692.23**	**726.98**	
बी	**व्यय**				
(i)	परिचालन व्यय	374.67	355.88	343.43	
(ii)	गैर-परिचालन व्यय	238.27	315.05	376.35	
	कुल	**612.94**	**670.93**	**719.78**	
सी	विनियोजन से पहले निवल अधिशेष/घाटा	(+)19.18	(+) 21.30	(+)7.20	
डी	न्यून: विनियोजन / संयोजन: हस्तान्तरण(निवल)	0	0	0	
ई	राजस्व आरक्षण को हस्तान्तरित अधिशेष/घाटा	(+)19.18	(+) 21.30	(+)7.20	
एफ	अधिशेष/घाटा के लिए निवल की प्रतिशतता:				
(i)	परिचालन आय	(+)3.28	(+)3.28	(+)1.05	
(ii)	निवल अचल संपदाएँ	(+)4.96	(+)5.75	(+)1.90	
(iii)	निवल मूल्य	(+)4.97	(+)5.70	(+)1.98	

3. अनुपात विश्लेषण

पोर्ट ट्रस्ट के नकदी एवं सम्पन्नता पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं:

वर्ष 2018-19,2019-20 एवं 2020-21 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए मौजूदा संपत्ति का प्रतिशत क्रमशः 48.16, 42.63 और 51.80 था।	तथ्यात्मक
वर्ष 2018-19,2019-20 एवं 2020-21 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए तत्काल संपदाओं की प्रतिशतता क्रमशः 39.53,33.89 एवं 43.88 था।	
वर्ष 2018-19,2019-20 एवं 2020-21 के दौरान परिचालन आय के लिए विविध देनदारों की प्रतिशतता क्रमशः23.59, 9.57 एवं 7.59 था।	
वर्ष 2018-19,2019-20 एवं 2020-21 के दौरान पूंजीगत भण्डार एवं सामान्य भण्डार के अनुपात के लिए पूंजीगत ऋण क्रमशः 2.28, 2.02 एवं 2.02 था।	

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी